उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-५१ /2022/3243/77-6-2022-4(एम)/2022

लखनऊ : दिनांक २८ दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के द्वारा प्रदत्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल एतदद्वारा **"उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022"** को प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-५१ /2022/3243(1)/77-6-2022-4(एम)/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
5. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबंध निदेश, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
10. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

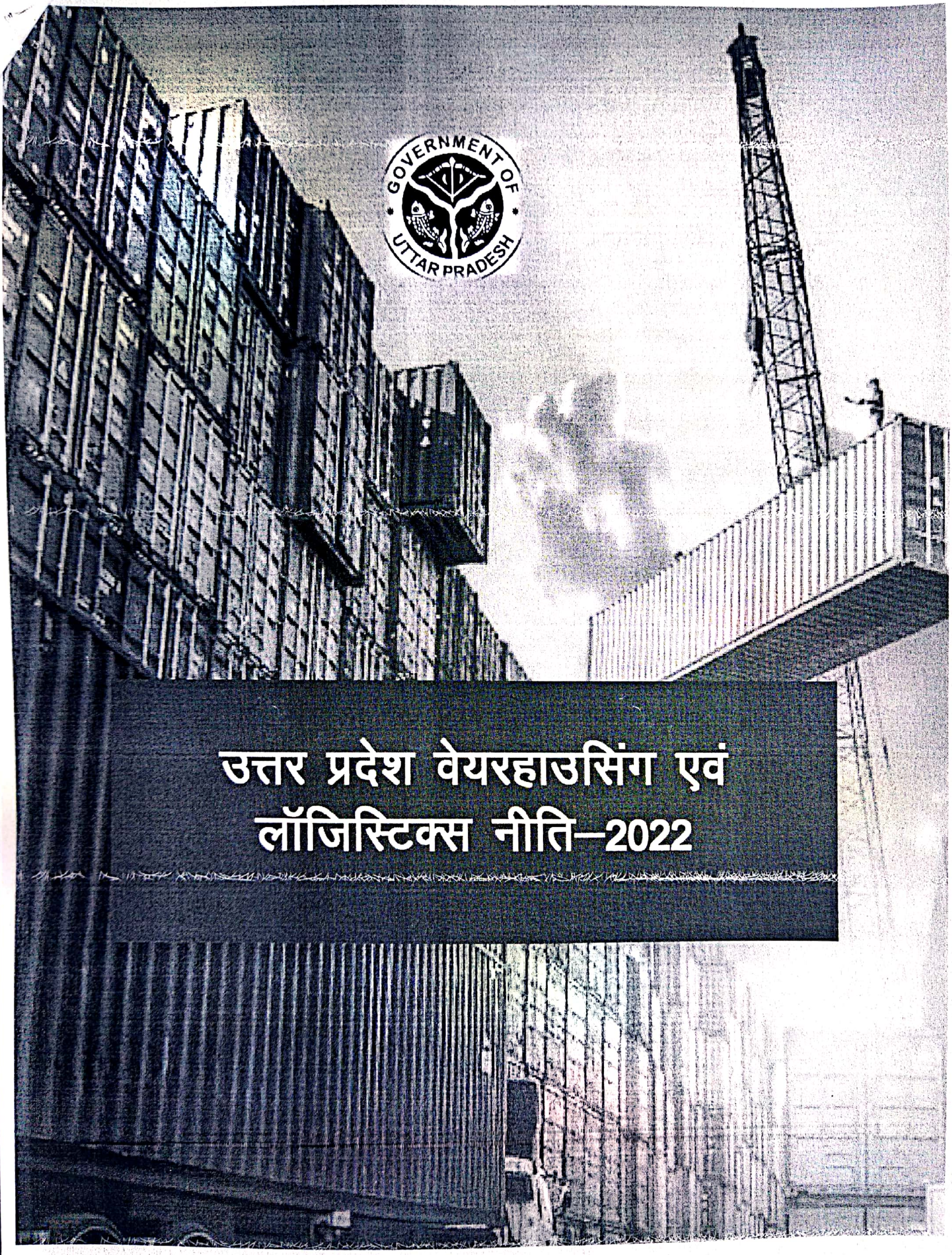

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2022

Scanned with CamScanner

विषय–सूची

1.	पृष्ठभूमि	3
2.	उत्तर प्रदेश में परिदृश्य	4
3.	नीति कापरिचय	5
4.	सुदृढ़ अवस्थापना विकास	7
5.	व्यापक लॉजिस्टिक्स नियोजन	11
6.	सतत् लॉजिस्टिक्स विकास	13
7.	लॉजिस्टिक्स हेतु इकोसिस्टम का विकास	14
8.	लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश आकर्षण	15
9.	प्रोत्साहन–योजना	20
10.	नीति का कार्यान्वयन	46

Scanned with CamScanner

शब्द–समूहों के लघु संकेत(Abbreviations)

1.	जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)
2.	जीएसटी	माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax)
3.	सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate)
4.	डीएफसी	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर(Dedicated Freight Corridor)
5.	ईडीएफसी	ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर(Eastern Dedicated Freight Corridor)
6.	डब्ल्यूडीएफसी	वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर(Western Dedicated Freight Corridor)
7.	सीएलएपी	व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (Comprehensive Logistics Action Plan)
8.	जीएसडीपी	राज्य सकल घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product)
9.	पीपीपी	सार्वजनिक–निजी सहभागिता (Public-Private-Partnership)
10.	लीड्स	विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता (Logistics Ease Across Different States)
11.	बीआरएपी	व्यापार सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan)
12.	यूपीसीडा	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh State Industrial Development Authority)
13.	एलओसी	लेटर ऑफ कम्फर्ट (Letter of Comfort)
14.	एनएलपी	राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy)
15.	आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (Inland Container Depot)
16.	सीएफएस	कंटेनर फ्रेट स्टेशंस (Container Freight Stations)
17.	एएफएस	एयर फ्रेट स्टेशंस (Air Freight Stations)
18.	सीए	नियंत्रित वातावरण(Controlled Atmosphere)
19.	एमए	परिवर्तित वातावरण (Modified Atmosphere)
20.	आईक्यूएफ	इंडीविजुयल क्विक फ्रीज़िंग (Individual Quick Freezing)
21.	पीएफटी	निजी फ्रेट टर्मिनल्स (Private Freight Terminals)
22.	पीएमजीएस	पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti)
23.	एनपीजी	नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप (Network Planning Group)
24.	आईआईडीसी	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (Infrastructure & Industrial Development Commissioner)
25.	टीएसयू	टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप (Technical Support Group)
26.	सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (Chief Executive Officer)
27.	यूपीपीसीबी	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UP Pollution Control Board)
28.	आईओटी	इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things)
29.	एटीएमएस	आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली (Advanced Traffic Management Systems)
30.	यूपीएसडीएम	उ.प्र. कौशल विकास मिशन(UP Skill Development Mission)
31.	आईडीटीआर	इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च (Institute of Driver Training and Research)
32.	एनएसडीसी	नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉरपोरेशन (National Skill Development Corporation
33.	एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन (Non-Government Organization)
34.	ईआईपी	पात्र निवेश अवधि (Eligible Investment period)
35.	पीआईयू	नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit)
36.	ईसी	प्राधिकृत समिति (Empowered Committee)
37.	एचएलईसी	उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (High level Empowered Committee)
38.	आईडब्ल्यूएआई	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterway Authority of India)

Scanned with CamScanner

1. पृष्ठभूमि

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक व्यवसाय का उद्देश्य धन हेतु व्यापार के माध्यम से वस्तुओं अथवा सेवाओं का आदान–प्रदान करना है। लॉजिस्टिक्स वह माध्यम है, जिसका उपयोग इन वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन–देन को पूर्ण करने हेतु किया जाता है। लॉजिस्टिक्स उद्योग, न केवल आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकरता है, अपितु पर्यावरण एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेजी से विकसित होते हुए बाजार में कंपनियां अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न आपूर्ति–श्रृंखला से संबंधित रणनीतियों को अंगीकृत कर रही हैं। वर्ष 2017 में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स बाजार का मूल्य 7,641.20 बिलियन यूएस डॉलर था तथा वर्ष 2020 से 2027 तक 6.5 प्रतिशत् का सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) दर्ज करते हुए (ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मार्केट स्टेटिस्टिक्स, 2021–2027)वर्ष 2027 तक इसके 12,975.64 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। विश्व में विकास एवं निवेश, दोनों से संबंधित वैश्विक लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के एशियाई बाजार में केंद्रित होने का अनुमान है। वर्ष 2020 से 2025 (स्टेटिस्टा, 2022) तक की अवधि में वैश्विक ई–कॉमर्स लॉजिस्टिक्स बाजार की वृद्धि का 57 प्रतिशत अंश प्रमुखतः चीन, जापान तथा भारत में होने की संभावना है।

लॉजिस्टिक्स देश के भीतर व्यापार का एक महत्वपूर्ण कारक है तथा समग्र रूप से वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्धारक भी है। लॉजिस्टिक्स की लागत विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7–8 प्रतिशत तथा अन्य BRICS देशों में 9–10 प्रतिशत की तुलना में भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 13–14 का उच्च प्रतिशत है।लॉजिस्टिक्स लागत में केवल 1 प्रतिशत की भी कमी का तात्पर्य प्रति वर्ष लगभग ₹1.4 लाख करोड़ की बचत होगी। अतः देश में एक सुदृढ़, भलीभांति एकीकृत एवं क्षमतापूर्ण लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) विकसित करने की एक अंतर्निहित आवश्यकता है।

लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स–2018 में, वर्ष 2014 में 54वें स्थान से 10 स्थानों का सुधार करते हुए वर्ष 2018 में भारत 44वें स्थान पर आ गया है (विश्व बैंक 2018)। वर्तमान में (वित्तीय वर्ष 2021), भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग का मूल्य 150 बिलियन यूएस डॉलर था तथा यह देश के जीडीपी का 14.4 प्रतिशत हैएवं वर्ष 2025 तक इसके 380 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है (लॉजिस्टिक्स स्किल काउंसिल, 2022)। कोविड महामारी के उपरांत, डिजिटलीकरण के कारण भारत का लॉजिस्टिक्स उद्योग 10–12 प्रतिशत की सीएजीआर में उच्च वृद्धि हेतु तत्पर है (स्टैटिस्टा, 2022)। वर्तमान में, भारत में माल–परिवहन, मुख्यतः राड़क–मार्ग से होता है, जो माल ढुलाई का 59 प्रतिशत है। माल ढुलाई की मांग की लगभग 35 प्रतिशत पूर्ति रेलमार्ग द्वारा, 6 प्रतिशत जलमार्ग से तथा 1 प्रतिशत से भी कम पूर्ति वायुमार्ग द्वारा की जाती है (नीति आयोग, 2021)।

Scanned with CamScanner

इसमें उत्तरोत्तर सुधार तथा देश में व्यापक लॉजिस्टिक्स अवस्थापना विकास को सुंनिश्चित करने हेतु भारत सरकार अनेक कदम उठा रही है। ये मुख्य रूप से 4–स्तंभों पर आधारित है– अवस्थापना विकास, लॉजिस्टिक्स नियोजन, अग्रसक्रिय प्रशासन एवं प्रौद्योगिकी अंगीकरण। इसमें 'पीएम गतिशक्ति', 'सागरमाला', 'मेक–इन–इंडिया' आदि जैसीयोजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मानदंडों को सुविधाजनक बनाना, जीएसटी का कार्यान्वयन, ई–कॉमर्स का विकास, नियामक नीतियों में सकारात्मक परिवर्तन तथा चहुँमुखी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा माल के सुचारु परिवहन हेतु उच्च गति एवं उच्च क्षमता वाले रेलवे कॉरिडोर्स के रूप में 02 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स (डीएफसी), अर्थात्– ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) विकसित किए जा रहे हैं। चूंकि ये कॉरिडोर्स लॉजिस्टिक्स की लागत एवं परिवहन के समय को कम करेंगे, अतः इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के किनारे दिल्ली–मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) एवं अमृतसर–कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (एकेआईसी) विकसित किए जा रहे हैं। अन्य परियोजनाओं में मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक पार्क, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, एक्सप्रेसवेज़, उड़ान–क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना आदि सम्मिलित हैं, जिन्हें लॉजिस्टिक्स–व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 14 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत तक करने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग के समन्वित व केंद्रित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा अग्रसक्रिय व कुशल प्रशासन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस क्रम में वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा एक डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स डिवीज़न का गठन किया गया है। देश में लॉजिस्टिक्स में और सुधार हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए एकीकृत एवं व्यापक परियोजना नियोजन के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2021 में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय महायोजना प्रारंभ की है। हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति–2022 घोषित की गई है, जो एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (Comprehensive Logistics Action Plan - CLAP) के माध्यम से सेवाओं (प्रक्रियाओं, डिजिटल सिस्टम्स, नियामक ढांचे) एवं मानव संसाधन की दक्षता में सुधार करने पर केंद्रित है।

2. उत्तर प्रदेश में परिदृश्य

क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा विशालतम् राज्य है तथा यहां देश की 17 प्रतिशत् जनसंख्या निवास करती है। रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित होने के कारण उत्तर प्रदेश, पूर्वी निर्यात बंदरगाहों एवं मध्य भारत के लिए एक आकर्षक प्रवेश द्वार है। प्रदेश, निवेशकों को एक विशाल उपभोक्ता एवं श्रम बाजार प्रदान करता है।वर्तमान मूल्यों के अनुसार वर्ष 2021–22 में उत्तर प्रदेश का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹21.74 ट्रिलियन (294.90 बिलियन यूएस डॉलर) होने का अनुमान है (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार–2022)। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 08 प्रतिशत् का योगदान करते हुए, निवेशक अनुकूल नीतियों, सुधारों एवं सक्रिय शासन के साथ प्रदेश

Scanned with CamScanner

सरकार ने राज्य में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में प्रदेश सरकार की मंशा ₹10 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने की है। अतः प्रदेश सरकार त्वरित औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि मैन्यूफैक्चरिंग तथा लॉजिस्टिक्स मौलिक रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं।

हाल के कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने स्वयं को भारत के अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश से 16.39 विलियन यूएस डॉलर तथा वित्तीय वर्ष 2022 (फरवरी, 2022 तक) में 18.83 विलियन यूएस डॉलर का मर्केण्डाइज़ निर्यात हुआ। वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की आवक में भारत में उत्तर प्रदेश का 11वां स्थान था। वर्ष 2019 में, प्रदेश में ₹16,799 करोड़ (2.40 बिलियन यूएस डॉलर) के निवेश–प्रस्ताव प्राप्त हुए(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग– डीपीआईआईटी)। लॉजिस्टिक्स विकास पर वल देने तथा लॉजिस्टिक्स में सुविधा प्रदान करने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश को विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुलभता (LEADS) सर्वेक्षण–2022 में लैंड–लॉक्ड (भूमि से घिरे हुए) राज्यों के क्लस्टर में 'अचीवर्स' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसे अग्रणी राज्यों में सम्मिलित किया गया है। पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अनिवार्य डेटा लेयर्स के एकीकरण की प्रक्रिया तथा 'रेलमार्ग अवस्थापना की गुणवत्ता' के संदर्भ में प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इससे पूर्व, गत् लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) रैंकिंग–2021 में देश में 07 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश ने 6वां स्थान प्राप्त किया था तथा राज्य को 'शीर्ष सुधारक' **(Top Improvers)** के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

3. नीति का परिचय

3.1. विज़न

"राज्य में एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का विकास करना तथा लॉजिस्टिक्स की लागत एवं समय को कम करने हेतु परिवहन के विभिन्न साधनों को समन्वित करना, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धात्मकता व व्यवसायों की संचालन क्षमता में वृद्धि के साथ–साथ प्रदेश में व्यापार व निवेश के अनुकूल वातावरण प्रदान करना।"

3.2. उद्देश्य

नीति के विज़न को निम्नवत् साकार किया जाएगा–

1. प्रदेश के आर्थिक केंद्रों को प्रथम्/अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में यातायात लिंकेजेज़ में वृद्धि हेतु इंटर–मोडलिज़्म (Inter-modalism) को प्रोत्साहित करने हेतु **सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्कका सृजन**।
2. आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन एवं वृहद् स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु **विद्यमान वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन व सुधार** करना।
3. **लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने एवं दक्षता में सुधार** हेतु राज्य में लॉजिस्टिक्स सेवाओं के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करना।

Scanned with CamScanner

4. प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास हेतु प्रभावी प्रशासन एवं एकीकृत नियोजन के लिए एक **प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित करना।**
5. प्रदेश में फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेजेज़ के साथ **लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना।**
6. लॉजिस्टिक्स उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **कार्यबल की उत्कृष्टता एवं कौशल–सुधार, पुनर्कौशल तथा क्षमता–वृद्धि को बढ़ावा देना।**
7. स्वचालन, ग्रीन लॉजिस्टिक्स तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक प्रक्रियाओं के अंगीकरण को बढ़ावा देकर **स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कार्यप्रणालियों** की स्थापना करना।

3.3. रणनीतिक रूपरेखा

इस नवीन नीति के माध्यम से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के व्यापक विकास हेतु निजी सहभागियों को आकर्षित करने के लिए निम्नानुसार रणनीति प्रतिपादित की गई है।

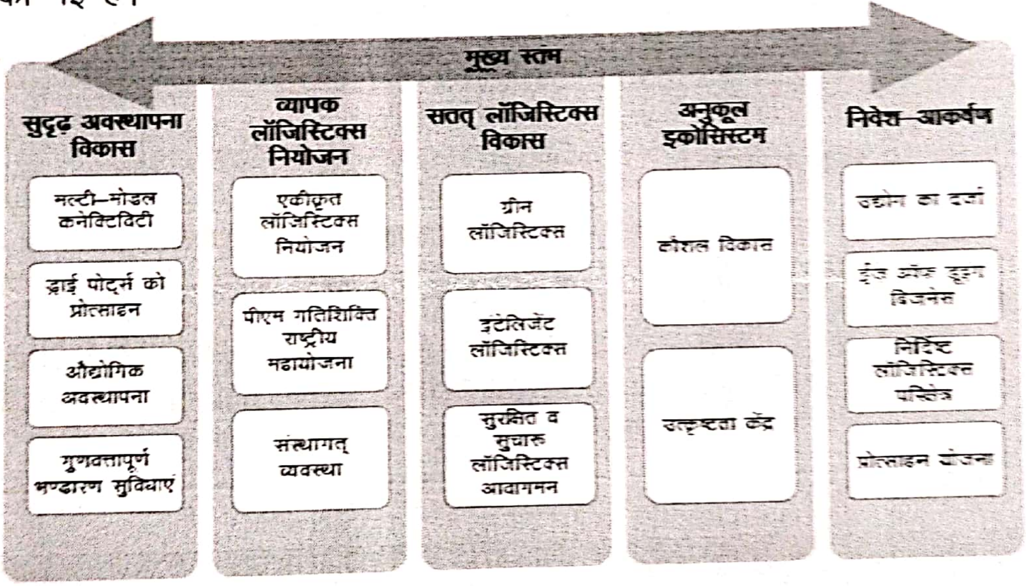

3.4. नीति का विस्तार–क्षेत्र

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति–2022 में यथापारिभाषित, 'लॉजिस्टिक्स' का अभिप्राय उत्पादन एवं उपभोग के बिंदुओं, भंडारण, मूल्यवर्धन तथा संबंधित सेवाओं के मध्य माल के परिवहन एवं प्रबंधन से है। लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं में ऐसे नोड्स एवं कनेक्शन सम्मिलित हैं, जो बंदरगाहों, स्टेशनों, मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (एमएमएलपी), वेयरहाउसेज़ तथा अन्य व्यावसायिक परिसरों के रूप में अधिक प्रचलित हैं तथा सड़कों, रेलवे, शिपिंग, अंतर्देशीय जलमार्ग, वायुमार्गों, पाइपलाइनों आदि से जुड़े हैं एवं उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के वाहकों (carriers) द्वारा किया जाता है (संदर्भः डीपीआईआईटी के के शासनादेश,दिनांक 28.09.2022 द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति–2022 का प्रस्तर 2)।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त के आलोक में, नीति में निम्नलिखित प्रकृति की परियोजनाएं सम्मिलित होंगी–

(1) **'भंडारण सुविधाएं'** :

(क) बल्क/ब्रेक बल्क फॉर्म में कार्गो की हैण्डलिंग एवं भंडारण के लिए विकसित ओपेन/क्लोज़्ड गोदामों सहित भंडारण सुविधाएं;

(ख) ठोस एवं तरल दोनों रूपों में बल्क कार्गो के भंडारण के लिए निर्मित ऊर्ध्वाधर (Vertical) भंडारण संरचनाओं के रूप में साइलोज़; तथा

(ग) नियंत्रित/संशोधित वातावरण कक्षों, परिवर्तनीय आर्द्रता कक्षों, क्विक/ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल प्री–कूलिंग वैन, रेफ्रिजरेटेड वाहन एवं तौल, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग,प्री–कूलिंग, फॉग ट्रीटमेंट एवं अन्य प्रक्रियाओं की सुविधा युक्त खराब (नश्वर)/तापमान संवेदनशील कार्गो के भंडारण तथा न्यूनतम प्रसंस्करण के लिए विकसित कोल्ड चेन सुविधाएं।

(2) **'लॉजिस्टिक्स पार्क एवं ड्राई पोर्ट्स'** में मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क तथा परिवहन टर्मिनल्स सम्मिलित हैं, जिनमें अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन एवं संबंधित भंडारण सुविधाओं से युक्त अथवा भंडारण सुविधाओं से रहित एयर फ्रेट स्टेशन सम्मिलित हैं।

(3) **अन्य सुविधाएं**–

(क) ट्रकों हेतु पार्किंग–सह–विश्राम स्थल के लिए ट्रकर्स पार्क या ले–बे।

(ख) निजी रेलवे साइडिंग तथा फ्रेट टर्मिनल सहित कार्गो टर्मिनल।

(ग) अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 (Inland Vessels Act 2021) तथा बर्थिंग टर्मिनल्स में पारिभाषित बार्ज, टग–बोट्स, जेट–फेरी आदि सहित अंतर्देशीय पोत।

रणनीति–1

4. सुदृढ़ अवस्थापना विकास

प्रदेश में भली प्रकार से विकसित सामाजिक, भौतिक एवं औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं रेलमार्ग का सबसे विस्तृत नेटवर्क है। इसमें 48 राष्ट्रीय राजमार्गों, 13 विद्यमान एवं प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, 5 विद्यमान एवं प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डों, घरेलू वायुमार्ग से संपर्क के लिए 20 से अधिक वायुमार्गों एवं समस्त प्रमुख नगरों के लिए रेल लिंक के माध्यम से उत्तम कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

4.1. मल्टी–मोडल कनेक्टिविटी

उत्तर प्रदेश सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के अंतर्गत वायुमार्ग, जलमार्ग, सड़क–मार्ग एवं रेल नेटवर्क के एक कनेक्टिविटी वेब का विकास करना है, जिससेउद्योगों को वैश्विक व घरेलू बाजारों के लिए लॉजिस्टिक्स की सुलभता सुनिश्चित होगी। नीति का उद्देश्य प्रदेश की औद्योगिक निवेश क्षमता का लाभ

Scanned with CamScanner

उठाने के लिए सुचारू एवं कम लागत वाले लॉजिस्टिक्स को सुनिश्चित करने हेतु इस नेटवर्क को सुदृढ़ करना है।

क) देश में सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क (16,000 किमी से अधिक) के अतिरिक्त, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) का अधिकतर भाग प्रदेश में है। डब्लूडीएफसी मुंबई (पश्चिमी भारत) में जेएनपीटी बंदरगाह तक एवं उत्तर प्रदेश से हो कर जाने वाले ईडीएफसी के 57 प्रतिशत कोलकाता (पूर्वी भारत) में हल्दिया बंदरगाह तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करेगा। प्रदेश सरकार ने इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स का लाभ उठाने के लिए एक रणनीतिक ढांचा तैयार किया है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थित दादरी में दोनों कॉरिडोर्स– ईडीएफसी एवं डब्ल्यूडीएफसी के जंक्शन से राज्य को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक अनुपम लाभ प्राप्त है।

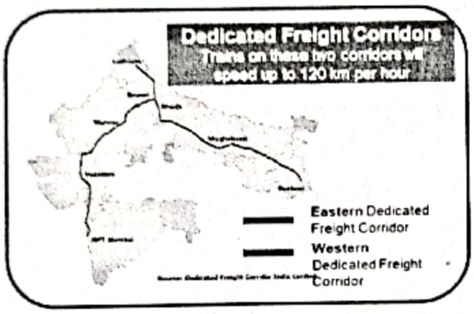

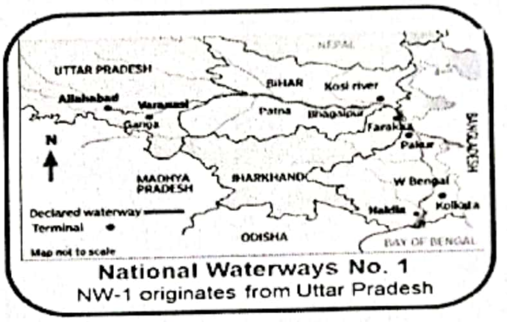

National Waterways No. 1
NW-1 originates from Uttar Pradesh

ख) प्रदेश में स्थित जनपद प्रयागराज को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने वाले देश के प्रथम अंतर्देशीय जलमार्ग का लगभग 1,100 किमी पहले से ही संचालित हो चुका है। गाजीपुर/राजघाट, रामनगर (वाराणसी) तथा प्रयागराज टर्मिनलों पर राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के किनारे वाराणसी में एक मल्टी–मोडल टर्मिनल एवं विभिन्न फ्लोटिंग टर्मिनल्स संचालित हैं।

ग) देश में सर्वाधिक वृहद् राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से एक होने के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वर्तमान एवं प्रस्तावित, कुल 13 एक्सप्रेसवेज़ के साथ स्वयं को 'एक्सप्रेसवे के राज्य' के रूप में स्थापित किया है, जिसमें से 06 एक्सप्रेसवे (1,225 किलोमीटर) पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 07 विकास के विभिन्न चरणों में हैं। ये एक्सप्रेसवेज़ प्रदेश में अति–आवश्यक सामाजिक–आर्थिक विकास को संभव कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त एक्सप्रेसवेज़ के किनारे नये औद्योगिक कॉरिडोर्स विकसित किए जाने के अवसर विद्यमान हैं।

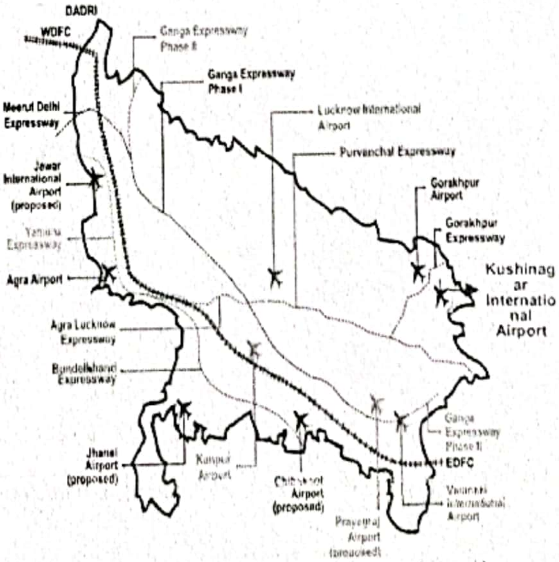

Scanned with CamScanner

घ) लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डों एवं जेवर व अयोध्या में विकसित किए जा रहे नवीन हवाई–अड्डों के साथ, उत्तर प्रदेश 05 अंतर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू कनेक्टिविटी हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के अंतर्गत 07 हवाई अड्डों को संचालित कर दिया गया है तथा 08 अन्य हवाई–अड्डे विकसित किए जा रहे हैं। जेवर में 5,000 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डा, भारत के विशालतम् अंतर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डों में से एक होगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू हवाई संपर्क के लिए 20 से अधिक वायु मार्गों को चिन्हित किया गया है।

4.2. ड्राई पोर्ट्स को प्रोत्साहन (Promotion of Dry Ports)

संपूर्ण प्रदेश में स्थित विभिन्न निर्यात क्लस्टरों से युक्त, उत्तर प्रदेश, भूमि से घिरा हुआ (Land-locked) एक राज्य है। अतः समुद्री बंदरगाहों को निर्यात कार्गो के सुविधाजनक परिवहन हेतु प्रदेश में शुष्क बंदरगाहों (ड्राई पोर्ट्स) का विकास किया गया है।

क) उत्तर प्रदेश में विद्यमान लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मुरादाबाद रेल लिंक्ड संयुक्त घरेलू एवं एक्जिम टर्मिनल, रेल लिंक्ड प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल तथा कानपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), दादरी टर्मिनल में आईसीडी सम्मिलित हैं।

ख) राज्य को अंतर्देशीय जलमार्ग के निकट/किनारे विकसित किए जा रहे टर्मिनल्स तथा फ्रेट कॉरिडोर्स के निकट/किनारे मल्टी–मोडल टर्मिनलों का लाभ प्राप्त हो रहा है। दादरी में एक मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) एवं बोराकी (ग्रेटर नोएडा) में मल्टी–मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) भी विकसित किए जा रहे हैं, जिससे इस सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा।

ग) जनपद वाराणसी में 100 एकड़ क्षेत्र में भारत का प्रथम 'फ्रेट विलेज' विकसित किया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्यात केंद्रों को पूर्वी भारत के बंदरगाहों से जोड़ने वाला यह गांव, इनबाउंड एवं आउटबाउंड कार्गो के लिए ट्रांस–शिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा।

राज्य सरकार का लक्ष्य मौजूदा शुष्क बंदरगाहों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, माल ढुलाई स्टेशनों एवं रोड कॉरिडोर्स तक पहुंच के साथ उपयुक्त स्थानों पर लॉजिस्टिक्स टर्मिनल्सं, 4–लेन और 6–लेन राजमार्गों के गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क, इंटरलिंकिंग सड़कों आदि को सुदृढ़ करना है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा भविष्योन्मुख आधुनिक सुविधाओं से युक्त ड्राई पोर्ट्स के विकास हेतु निवेश आकर्षित करने की योजना है।

4.3. औद्योगिक अवस्थापना विकास (Industrial Infrastructure)

हाल के कुछ वर्षों मेंत्वरित अवस्थापना विकास के फलस्वरूप प्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर्स/हब्स तथा सार्वजनिक–निजी–सहभागिता (पीपीपी) परियोजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

Scanned with CamScanner

(क) नेशनल इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूडीएफसी एवं ईडीएफसी के संरेखण पर क्रमशः दिल्ली–मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) एवं अमृतसर–कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (एकेआईसी) के साथ ही विभिन्न इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। इन कॉरिडोर्स का उद्देश्य भारत में ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों को विकसित करना है, जिसमें प्रदेश के प्रमुख निर्यात एवं मैन्यूफैक्चरिंग केंद्र सम्मिलित हैं।

(ख) डीएमआईसी–एकेआईसी के अधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा में डीएमआईसी से आच्छादित क्षेत्र में एकीकृत टाउनशिप का विकास करना भी सम्मिलित है; प्रयागराज एवं आगरा में एकेआईसी परियोजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) का विकास प्रस्तावित है।

(ग) प्रदेश में नियोजित कई अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाएं इस प्रकार हैं–

- भारत में घोषित 02 डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर्स में से एक, उत्तर प्रदेश में 6–नोड्स (आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी एवं चित्रकूट) के साथ 5000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

- यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में राज्य का प्रथम मेडिकल डिवाइस पार्क प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक फिल्म सिटी, टॉय पार्क, एपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क भी विकसित किया जा रहा है।

- यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक लॉजिस्टिक हब, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डे के निकट एमआरओ/कार्गो कॉम्प्लेक्स एवं एक्सप्रेसवेज़ के किनारे लॉजिस्टिक्स सेंटर/हब की योजना है।

- बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस–गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में गारमेंट पार्क तथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाज़ियाबाद, गोरखपुर एवं अलीगढ़ में अनेक फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों सहित अन्य परियोजनाओं के विकास की योजना है।

लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की सुलभता में वृद्धि के साथ, प्रदेश में ऐसी अन्य औद्योगिक अवस्थापना परियोजनाएं विकसित होने की संभावना है, जिनसे निवेश आकर्षित होगा तथा आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अतः, यह नीति प्रदेश में इस प्रकार के औद्योगिक अवस्थापना विकास के लिए एक सहायक इकोसिस्टम प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

4.4. गुणवत्तापूर्ण भण्डारण सुविधाएं (Quality Storage Facilities)

उत्तर प्रदेश में रेलवे गुड्स शेड्स (689) तथा कोल्ड भंडारण (2406) की देश में सर्वाधिक संख्या है तथा अधिकतम कोल्ड भंडारण क्षमता,राष्ट्रीय क्षमता की 39.84 प्रतिशत् है(LEADS 2021)।चूंकि उत्तर प्रदेश कृषि–प्रधान राज्य है तथा

Scanned with CamScanner

राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, डिफेंस आदि सेक्टर में मैन्यूफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रही है, अतः औद्योगिक कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज़, फ्रेट कॉरिडोर्स आदि के किनारे नवीनतम तकनीकों से युक्त गुणवत्तापूर्ण भंडारण सुविधाओं का विकास करना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रदेश सरकार का यह लक्ष्य है कि निवेश आकर्षित करके पूरे राज्य में इस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण भंडारण सुविधाओं का विकास किया जाए।

इस नीति के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिटेल लिंक्ड वेयरहाउसेज़ की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें ग्रेडिंग, सॉर्टिंग व आंतरिक परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ पैकिंग सुविधाएं सम्मिलित हैं।कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खराब होने वाली/नश्वर वस्तुओं की उपयोग के योग्य बने रहने की भण्डारण अवधि (Shelf life) में वृद्धि करने तथा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोल्ड भंडारण के बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्रोत्साहित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं में विद्यमान भंडारण सुविधाओं को चिन्हित करके विभिन्न संबंधित विभागों/संस्थाओं, यथा– सहकारिता विभाग, उद्यान एवं खाद्य–प्रसंस्करणविभाग व कृषि विभाग आदि के माध्यम से निजी संस्थाओं द्वारा उनके उन्नयन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

रणनीति–2

5. व्यापक लॉजिस्टिक्स नियोजन(Comprehensive Logistics Planning)

चूंकि भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग कुछ स्थानों पर संकेंद्रित (defragmented) है, अतः लॉजिस्टिक्स सेवाओं के असंतुलित वितरण के समाधान हेतु एकीकृत एवं व्यापक नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार देश की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु समग्र लॉजिस्टिक्स नियोजन पर अत्यधिक बल दे रही है, अतः राज्य सरकारें भी लॉजिस्टिक्स नियोजन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं।

5.1. राज्य–स्तरीय एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजना

लॉजिस्टिक्स सेक्टर के समग्र विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा एक व्यापक राज्य–स्तरीय एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजना विकसित की गई है, ताकि निर्यात केंद्रों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने के लिए राज्य भर में निर्बाध कनेक्टिविटी तथा त्वरित कार्गो आवागमन सुनिश्चित हो सके। इस योजना के माध्यम से सुधार एवं विकास के क्षेत्रों का नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा की जा रही है।

इस संदर्भ में, प्रदेश सरकार द्वारा07 स्मार्ट फ्रेट सिटीज़, अर्थात– आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद एवं मेरठ के लिए सिटी लॉजिस्टिक्स योजना तैयार की जा रही है, ताकि परिनगरीय क्षेत्रों एवं कस्बों में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विकास किया जा सके। इससे नगरों द्वारा उनकी वर्तमान माल–ढुलाई क्षमता का मूल्यांकन करने, उनकी वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं को पारिभाषित करने तथा संबंधित क्षेत्रों में सुधार–क्षेत्रों कोचिन्हित करने में सहायता मिलेगी।

Scanned with CamScanner

5.2. पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लानसे एकीकरण

उत्तर प्रदेश समन्वित परियोजना नियोजन तथा लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं के त्वरित विकास हेतु राज्य–स्तरीय मास्टर प्लान को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के साथ एकीकृत करने में अग्रणी राज्यों में से एक है। राष्ट्रीय महायोजना के प्रारंभ होने के उपरांत, प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एण्ड जियो–इन्फॉर्मेटिक्स (BISAG-N) एवं रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यूपी (RSAC-UP) के समन्वय से उनकी परिसंपत्तियों की ऑनलाइन मैपिंग के लिए भू–संदर्भ (Geo-referencing) के लिए प्रेरित किया गया।

अब तक प्रदेश सरकार द्वारा समस्त 20 अनिवार्य लेयर्स, जो भारत सरकार द्वारा चिन्हित की गई हैं, का सफलतापूर्वक एकीकरण कर लिया गया है। साथ ही, राज्य स्तरीय पोर्टल के अधीन परियोजना नियोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 लेयर्स भी चिन्हित करके सृजित कर ली गई हैं।

प्रदेश में सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु इस नीति के अंतर्गत नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण अंगीकृत किया जाएगा। गतिशक्ति एनएमपी के अंतर्गत सड़कों, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई–अड्डों, मल्टी–मोडल टर्मिनल्स आदि में निवेश होने से लॉजिस्टिक्स सेक्टर को सर्वाधिक लाभ होगा।

5.3. लॉजिस्टिक्स नियोजन हेतु संस्थागत् व्यवस्था

प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास हेतु समर्पित नोडल अधिकारी, राज्य–स्तरीय लॉजिस्टिक्स प्रकोष्ठ(Logistics Cell) तथा लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति (Logistics Coordination Committee) की व्यापक संस्थागत् व्यवस्था की गई है। शासनादेश सं. 107/77–6–2021, दिनांक 08 जनवरी, 2021 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समर्पित 'लॉजिस्टिक्स प्रकोष्ठ' गठित किया गया है। यह समर्पित प्रकोष्ठ प्रदेश में लॉजिस्टिक्स विकास के नियोजन हेतु विभिन्न विभागों, यथा– नागरिक उड्डयन, परिवहन, विद्युत, उद्यान, भंडारण निगम एवं अन्य संबंधित विभागों के मध्य समन्वय तथा त्वरित निर्णय प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा। शासनादेश सं. 108/77–6–2021, दिनांक 08 जनवरी, 2021 के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति (Logistics Coordination Committee) का भी गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त शासनादेश सं. 8–3099/262/2021 दिनांक 9 सितंबर 2021 के द्वारा अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में सिटी लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति (City Logistics Coordination Committee) का गठन किया गया है तथा उत्तर प्रदेश में चिन्हित सात स्मार्ट फ्रेट सिटीज के नगर आयुक्तों की अध्यक्षता में सिटी लॉजिस्टिक्स समितियों का गठन किया गया है। सिटी लॉजिस्टिक्स समितियां भारत सरकार के साथ परामर्श एवं समन्वय के अतिरिक्त प्रदेश में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु नगर–स्तरीय समिति के गठन, सुधार, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होंगी। नगर स्तर

Scanned with CamScanner

पर गठित समितियां, सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार करने तथा अपने–अपने क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु उत्तरदायी होंगी।

इसी प्रकार, प्रदेश में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य–स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में सचिव रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के शासनादेश सं. 177/77–6–2022 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 'सचिवों का एक प्राधिकृत समूह' (Empowered Group of Secretaries - EGoS) गठित किया गया है। साथ ही, औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के शासनादेश सं. 1122/77–6–2022 दिनांक 28.05.2022 के द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता मेंएक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) की स्थापना की गई है तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)–इन्वेस्ट यूपी की अध्यक्षता में औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के शासनादेश सं. 1122/77–6–2022 दिनांक 28.05.2022 के द्वारा एक तकनीकी सहायता इकाई (TSU) को गठित किया गया है।

प्रदेश में केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार लॉजिस्टिक्स नियोजन हेतु एक व्यापक संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है, जो प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एकीकृत योजना एवं व्यापक विकास के लिए कार्य करेगा।

रणनीति–3

6. सतत् लॉजिस्टिक्स विकास(Sustainable Logistics)

6.1. पर्यावरण के अनुकूल (ग्रीन) लॉजिस्टिक्स (Green Logistics)

इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार हेतु स्मार्ट वेयरहाउसिंग, सौर ऊर्जा का उपयोग, उत्सर्जन कम करने हेतु सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने, इंडस्ट्री 4.0, यथा– इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। ***इस दिशा में, नीति के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स उद्योग में ग्रीन/हरित उपायों को अपनाने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। इसमें लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए आपेन एक्सेस की अनुमति देकर कैप्टिव सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा।***

प्रदेश सरकार आगामी सिटी लॉजिस्टिक्स योजनाओं के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके समुचित मोडल मिक्स (दक्ष मोड / ग्रीन मोड में ऊर्जा के अंश में वृद्धि) को प्रोत्साहित कर परिवहन साधनों की दक्षता में सुधार को बढ़ावा देगी। इन योजनाओं के माध्यम से सुचारू लॉजिस्टिक्स परिवहन व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, निष्क्रियता के समय को कम करने के लिए रिवर्स लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा तथा लॉजिस्टिक्स से होने वाले प्रदूषण के प्रभाव को कम करने तथा अधिकतम संभव क्षमता के उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

6.2. नवाचार एवं अभिज्ञ/इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक्स(Innovations and Intelligent Logistics)

यह नीति संबंधित हितधारकों को निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वस्थ एवं स्मार्ट लॉजिस्टिक्स सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक व डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। यह नीति राज्य में लॉजिस्टिक क्षेत्र को परिवर्तित करने हेतु उद्योगों द्वारा डिजिटल तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। दक्षता में वृद्धि करने वाले तंत्रों की सुलभता एवं आधुनिक तकनीकों के अंगीकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सुविधाओं से सुसज्जित बड़े आकार के ट्रकों, उच्च भार क्षमता वाले रेलवे वैगनों आदि जैसे उत्तमतर उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा नवीन तकनीकों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसमें अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित करना, डिजिटलीकरण की तकनीकों को बढ़ावा देना, सामग्री प्रबंधन में रोबोटिक्स व स्वचालन (Automation) का उपयोग, कार्गो–परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स केंद्रों पर कार्गो यातायात को व्यवस्थित करना, लेनदेन के सत्यापन के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी–आधारित प्रणाली, सुरक्षित रूप से प्रलेखों तथा सूचनाओं का आदान–प्रदान अन्य नवाचार सम्मिलित है।

6.3. कार्गो के सुरक्षित एवं सुचारू परिवहन का स्मार्ट प्रचालन (Smart Enforcement for safe and smooth movement of Cargo)

प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व से ही उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (Advanced Traffic Management System - ATMS) कार्यान्वित की जा रही है, इस दिशा में टोल–प्लाजा की समस्त वीथिकाओं (Lanes) में कैमरों सहित वे–इन मोशन सेंसर सिस्टम (way in motion sensor systems) तथा मुख्य कैरिजवे के प्रत्येक टोल–प्लाजा पर स्टेटिक वेट ब्रिज (Static Weight Bridge) को विकसित किया जा रहा है। प्रमुख मार्गों पर ई–चालान का प्राविधान पहले ही लागू किया जा चुका है। 'माइन मित्र' ऐप एवं minemitra.up.gov.inके माध्यम से एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन नागरिक/कृषक ई–सेवाएं, ऑनलाइन खनिज प्रबंधन, ऑनलाइन ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं डीएसआर–टू–लीज डीड मैपिंग (DSR to Lease deed mapping)की सुविधा उपलब्ध है।

प्रदेश सरकार के सुसंगत विभागों/संस्थाओं द्वारा इन प्रणालियों की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी तथा उन्नयन किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य–स्तरीय लॉजिस्टिक्स योजना की नियमित समीक्षा तथा लीड्स(LEADS) रैंकिंग में राज्य के प्रदर्शन की समीक्षा के माध्यम से, राज्य में सुरक्षित एवं सुचारू लॉजिस्टिक्स को सक्षम करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह इस नीति के माध्यम से प्रदेश में निर्बाध आवागमन तथा कार्गो के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निजी लॉजिस्टिक्स संचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है (प्रस्तर 6.2)।

Scanned with CamScanner

रणनीति–4

7. लॉजिस्टिक्स हेतु इकोसिस्टम का विकास(Ecosystem Support for Logistics)

7.1. लॉजिस्टिक्स हेतु कौशल विकास

राज्य में लॉजिस्टिक्स में प्रशिक्षित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के साथ सबसे अधिक प्रशिक्षण केंद्र हैं (LEADS 2021)। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) के अधीन लोडर/अनलोडर्स एवं पैकर्स तथा कॉमर्शियल वाहन चालकों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। प्रदेश में प्रशिक्षण हेतु निजी सुविधाओं का विकास करके सूचीबद्ध वेण्डर्स/प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। निजी स्वामित्व वाले लगभग 688 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा भारी वाहन (बस/ट्रक) चालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवरों के साथ–साथ लॉजिस्टिक्स से संबंधित अन्य कर्मियों, जैसे लोडर/अनलोडर, पैकर्स इत्यादि को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 12 मंडलों में सरकारी चालक प्रशिक्षण एवं बहु–कौशल संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। रायबरेली में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (Institute of Driver Training & Research - ITDR) भी निर्माणाधीन है।

लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 21वीं सदी के अनुसार कौशल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बाजारों एवं लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल के विशेषज्ञों के समन्वय से नई कार्य क्षमताओं को चिन्हित किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स उद्योग के हितधारकों एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation - NSDC) के परामर्श से नवीन पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण पद्धति विकसित की जाएगी। लॉजिस्टिक्स उद्योग हेतु कौशल विकास इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास विभाग में एक समर्पित टास्क–फार्स का गठन किया जाएगा, जो नवीन पाठ्यक्रमों की आवश्यकता, कौशल–वृद्धि एवं पुनर्कौशल विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति आदि क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए कौशल की आवश्यकता एवं उपलब्धता में अंतर का अध्ययन करेगा। यद्यपि, नीति के अंतर्गत उद्योग–विशेष से संबंधित प्रासंगिक कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की लागत को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

7.2. उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence)

प्रदेश सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नवीन तकनीक, संचालन मॉडल तथा अवसरों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापनाको प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी प्राप्ति तथा अन्य सुविधाओं की सुलभता हेतु सरकारी संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र

Scanned with CamScanner

istics)

के उद्यमों/निजी कंपनियों को उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार स्थापना की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 05 उत्कृष्टता केंद्रों की सीमा के अधीन प्रत्येक उत्कृष्टता केंद्र को ₹10 करोड़ तक अनुदान सहायता (पूंजी एवं संचालन व्यय हेतु) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह अपेक्षा की जाती है कि 05 वर्षों के अंत तक उत्कृष्टता केंद्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस नीति में पारिभाषित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) की संस्तुति पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा परियोजना को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत एवं संवितरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा फण्ड/प्रोत्साहन को अवमुक्त करना उत्कृष्टता केंद्रों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

रणनीति–5

8. लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश–आकर्षण

8.1. लॉजिस्टिक्स सेक्टर को उद्योग की श्रेणी/दर्जा प्रदान करना

भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को 'उद्योग' की श्रेणी/दर्जा प्रदान करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश, उत्तर भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश हेतु एक वरीय गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ है। यह उद्योग का दर्जा उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 के अंतर्गत केवल उन परियोजनाओं को प्रदान किया गया था, जिनको भारत सरकार द्वारा 'अवस्थापना का दर्जा' प्रदान किया गया था।

इस नवीन नीति के अंतर्गत, ***इस नीति में पारिभाषित समस्त पात्र परियोजनाओं को 'उद्योग का दर्जा' प्रदान किया जाएगा।*** परिणामतः, राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा नीति तथा संबंधित नियमावली के अंगीकरण के उपरांत प्रदेश में इस प्रकार की समस्त लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए औद्योगिक भूमि उपयोग एवं औद्योगिक एफएआर लागू हो जाएगा। इससे राज्य में लॉजिस्टिक्स उद्योग हेतु व्यवसाय स्थापित करने की लागत में कमी आएगी।

8.2. व्यवसाय में सहजता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस)

1) **स्वीकार्य ऊंचाई**–यह नीति 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वालीसंरचनाओं को (राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के भाग 4 के अंतर्गत प्रस्तर 3.4.2 के अनुसार) इस प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान करती है, कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ऐसी संरचनाओं में नियमित/निरंतर मानव–निवास नहीं हो तथा जिनमें प्रदेश सरकार के अग्निशमन विभाग द्वारा निर्धारित की गई पर्याप्त अग्निशमन प्रणालियाँ स्थापित की गई हों। इस संबंध में अग्निशमन विभाग द्वारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर की क्षेत्रीय स्तर की इकाइयों को विशेष निर्देश निर्गत किए जाएंगे।

Scanned with CamScanner

2) **श्वेत (White) श्रेणी–** चूंकि कतिपय भण्डारण एवं लॉजिस्टिक्स गतिविधियों में प्रदूषण तथा अपशिष्ट कम होता है, अतः इस प्रकार की गतिविधियों के वर्गीकरण को समय–समय पर उनके वायु, जल तथा जोखिम युक्त प्रदूषण के स्तर के आधार पर युक्तिसंगत बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के शासनादेश सं. एच 80284/213/2017–22 दिनांक 26.08.2022 के द्वारा वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को पूर्व से ही 'श्वेत' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यूपीपीसीबी द्वारा 'श्वेत श्रेणी' के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करने वाली गतिविधियों हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के परामर्श से विनिर्देशों की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी।

3) **सिंगल विंडो क्लीयरेंस**–प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं संचालन हेतु निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र/स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। राज्य में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स उद्योग हेतु ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में और सुधार करने के लिए इस सेक्टर हेतु वांछित विशिष्ट स्वीकृतियों/अनापत्ति प्रमाण–पत्रों/अनुमोदनों को पृथक से सूचीबद्ध किया जाएगा तथा निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

4) **24/7 संचालन–** वेयरहाउसेज़ को सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे संचालित करने की अनुमति होगी। महिलाओं हेतु रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी परियोजनाओं को महिलाओं को उनकी सहमति के आधार पर सभी पालियों/शिफ्टों (रात्रि की पाली सहित) में नियोजित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उक्त महिला कर्मियों हेतु श्रम विभाग द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा, परिवहन एवं अन्य उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

8.3. लॉजिस्टिक्स पार्क्स के लिए फास्ट–ट्रैक भूमि आंवटन

8.3.1. उ.प्र. औद्योगिक निवेशएवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 में यथा–निर्धारित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में वरीय (Preferred) भूमि आवंटन, ₹500 करोड़ के पूंजी निवेश से इस नीति के अंतर्गत पारिभाषित लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास हेतु फास्ट–ट्रैक आधार पर किया जायेगा। (संदर्भ : नीति के प्रस्तर 9.3.1 (7) के अनुसार)।

(क) ऐसे फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन हेतु आवेदन शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर इन्वेस्ट यूपी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तथा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अन्य मापदंडों के आधार पर आवेदन की जांच की जाएगी।

(ख) उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 में निर्दिष्ट अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 'फास्ट–ट्रैक भूमि आवंटन समिति' द्वारा इन्वेस्ट यूपी की जांच के आधार पर ऐसे आवंटन हेतु अपनी अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

Scanned with CamScanner

8.3.2. यदि निवेशकों को प्रदेश सरकार से औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर निकायों/अन्य अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर ऐसे लॉजिस्टिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण/क्रय करने की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित प्राविधान लागू होंगे–

(क) प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल संस्था द्वारा ऐसे पात्र लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु आवश्यक भूमि का न्यूनतम 1.25 गुना अधिग्रहण करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अधिग्रहीत की गई अतिरिक्त भूमि में न्यूनतम 04 अन्य लॉजिस्टिक इकाइयां अथवा औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकें। ऐसे पात्र लॉजिस्टिक्स पार्कको विक्रय–योग्य क्षेत्र का अधिकतम 80 प्रतिशत तक आवंटित किया जा सकता है।

(ख) इस प्राविधान के अंतर्गत भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, पात्र लॉजिस्टिक्स पार्क इस प्रकार अधिग्रहीत अतिरिक्त भूमि में अतिरिक्त लॉजिस्टिक इकाइयों या औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि के आवंटन हेतु भी तत्काल एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है, तथा इस प्रकार के प्रकरण में, ऐसी समस्त अतिरिक्त परियोजनाओं/इकाइयों को भी उनके निवेश की सीमा को विचारित किए बिना, पात्र इकाइयों की भांति ही फास्ट–ट्रैक भूमि आवंटन के लिए अर्ह माना जाएगा।

(ग) इस योजना के अंतर्गत पात्रता के मूल्यांकन के उद्देश्य से, केवल लॉजिस्टिक्स पार्कके पूंजी निवेश पर विचार किया जाएगा तथा अन्य 04 इकाइयों के पूंजी निवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) यदि ऐसे पात्र लॉजिस्टिक्स पार्क द्वारा 04 से कम अतिरिक्त इकाइयों के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो नोडल संस्था द्वारा शेष भूमि को अन्य लॉजिस्टिक्स अथवा औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपने नियमों/प्रक्रिया के अनुसार आवंटित किया जाएगा।

(ङ) आवंटन मूल्य का निर्धारण, भूमि के क्रय/भूमि अधिग्रहण की लागत, आंतरिक एवं वाह्य विकास की वास्तविक लागत तथा समय–समय पर निर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार को सम्मिलित करने के पश्चात किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि की पूर्ण लागत संस्था के पक्ष में सुरक्षित हो जाए, नोडल संस्था तत्काल (Upfront) रूप से संपूर्ण अधिग्रहण–लागत/आवंटन–मूल्य अथवा तत्काल (Upfront) आंशिक अथवा आंशिक रूप से बैंक गारंटी या किसी अन्य प्रक्रिया से लेने का निर्णय ले सकती है। मा. न्यायालयों के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की लागत में किसी भी वृद्धि

Scanned with CamScanner

को ऐसी पात्र परियोजना/ परियोजनाओं द्वारा ही वहन किया जाएगा।

(छ) ऐसी अधिग्रहीत भूमि पर मानचित्र अनुमोदन के प्रयोजन हेतु नामित नोडल संस्था के उपनियम लागू होंगे। यद्यपि पट्टे की अवधि के दौरान ऐसे पात्र लॉजिस्टिक्स पार्क के भीतर विकासकर्ता द्वारा भूखंडो/इकाइयों को अनुवर्ती पट्टे/किराये पर देने के लिए हेतु नोडल संस्था से संबंधित किसी शुल्क के भुगतान/अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

8.3.3 यदि लॉजिस्टिक्स पार्क में पुलिस स्टेशन/चौकी बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी स्थापना के लिए विकासकर्ता/सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।

8.4. निर्दिष्ट लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों का विकास (Development of Designated Logistics Zones)

उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक संभाव्य परिक्षेत्र हैं,जिनमें भारत के लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरने की उच्च क्षमता है।देश के दो प्रमुख फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्लूडीएफसी) एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के प्रदेश के दादरी, ग्रेटर नोएडा में जंक्शन का क्षेत्र में राज्य को उक्त कॉरिडोर्स के आच्छादित क्षेत्र में अनेक लॉजिस्टिक्स हब्स के विकास हेतु अपार संभावनाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में प्रमुख निर्यात केंद्रों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवेज़ के विस्तृत नेटवर्क के सन्निकट ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जिनको लॉजिस्टिक्स हब्स के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख अवस्थापना परियोजनाओं, जैसे– आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डा, क्षेत्रीय घरेलू हवाई–अड्डे एवं अंतर्देशीय जलमार्ग आदि के सन्निकट क्षेत्र भी प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हो सकते हैं।

(क) ऐसी अवस्थापना परियोजनाओं के निकट के क्षेत्रों को प्रदेश सरकार द्वारा पृथक शासनादेश के माध्यम से निर्दिष्ट लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों के रूप में प्रोत्साहन हेतु समय–समय पर चिन्हित किया जाएगा।

(ख) इस प्रकार के परिक्षेत्रों के विकास हेतु, जो क्षेत्र राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरणो अथवा विकास प्राधिकरणों अथवा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण अथवा विनियमित क्षेत्र अथवा स्थानीय नगर निकाय के अंतर्गत अधिसूचित नहीं हैं, प्रदेश सरकार द्वारा उनमें भी इस नीति के प्रस्तर 8.3 के अनुसार भूमि अधिग्रहण में सहायता प्रदान की जाएगी।

(ग) ऐसे परिक्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास के लिए निजी निवेशकों को इस नीति के प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे (अध्याय 9)।

Scanned with CamScanner

(घ) प्रदेश सरकार निर्दिष्ट लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सड़क संपर्क, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं सहित इन क्षेत्रों में वाह्य अवस्थापना विकास को भी प्रोत्साहित करेगी।

8.5. प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme)

यह नीति,03 शीर्षकों में वर्गीकृत लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं को आकर्षक उपादान एवं प्रोत्साहन प्रदान करती है–

(1) वेयरहाउस, साइलोज़, कोल्ड चेन सुविधा जैसी भंडारण सुविधाएं;

(2) मल्टी–मोडल पार्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो एवं कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित लॉजिस्टिक्स पार्क एवं ड्राई पोर्ट्स एवं एयर फ्रेट स्टेशन; तथा

(3) अन्य सुविधाएं, जैसे– ट्रक ले–बे, निजी फ्रेट टर्मिनल, बर्थिंग टर्मिनल एवं अंतर्देशीय पोत (Vessels)।

इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजनाओं को अग्रांत (Front-end) एवं पश्चांत (Back-end) उपादान प्रदान किए जाएंगे–

- **अग्रांत (Front-end) उपादान** के अंतर्गत छूट/रियायतें इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजनाओं को वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने से पूर्व अनुमन्य होंगी। ऐसी परियोजनाओं को नोडल संस्था में पंजीकृत करना होगा, जो आवेदन की प्रासंगिकता एवं पूर्णता को सत्यापित करने के उपरांत परियोजना हेतु एक यूनीक आईडी निर्गत करेगी। इस स्तर पर इन प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए लेटर–ऑफ–कम्फर्ट अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, अनुवर्ती चरण में आवेदकों को लेटर–ऑफ–कम्फर्ट प्राप्त करना होगा।

- यदि लेटर–ऑफ–कम्फर्ट को अंततः अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा परियोजना नीति में पारिभाषित पात्र निवेश अवधि के भीतर पूर्ण नहीं हुई है अथवा नीति के किसी प्राविधान का उल्लंघन किया गया है, तो आवेदक को छूट/रियायतों के रूप में प्रदान किया गया अग्रांत प्रोत्साहन, आवेदक द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी के माध्यम से पुनःप्राप्त/वसूल किया जाएगा।

- संबंधित पात्र परियोजनाओं के लिए इस नीति में वर्णित **पश्चांत (Back-end) उपादान**, परियोजना के पूर्ण होने तथा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के उपरांत ही प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार के लाभ केवल उन पात्र परियोजनाओं को प्रदान किए जाएंगे, जिनको नोडल संस्था द्वारा लेटर–ऑफ–कम्फर्ट (एलओसी) स्वीकृत किया गया है।

9. प्रोत्साहन योजना

9.1. भंडारण सुविधाएं

9.1.1 प्रमुख परिभाषाएं

1) **प्रभावी तिथि** का अभिप्राय इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से है।

Scanned with CamScanner

2) **प्रभावी अवधि** का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।

3) **कट–ऑफ तिथि** का अभिप्राय नीति की प्रभावी तिथि अथवा उसके उपरांत निवेश प्रारंभ होने की स्थिति में परियोजना का निवेश प्रारंभ होने की तिथि से है। यदि निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ होता है, तो कट–ऑफ तिथि, नीति की प्रभावी तिथि होगी। तथापि, यदि प्रभावी तिथि से पूर्व केवल भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो जिस तिथि को पूंजी निवेश के अंतर्गत पारिभाषित (भूमि को छोड़कर) किसी भी अन्य मद के अधीन प्रथम निवेश, प्रभावी तिथि को अथवा उसके उपरांत किया जाता है, उसे कट–ऑफ तिथि माना जाएगा। यद्यपि कट–ऑफ तिथि इस नीति की प्रभावी अवधि के उपरांत नहीं हो सकती।

4) **पात्र भंडारण सुविधा परियोजना** का अभिप्राय उत्तर प्रदेश में स्थापित निम्नलिखित सुविधाओं से है–

   i. इस नीति में पारिभाषित **वेयरहाउसेज़** सहित, जो गोदाम **न्यूनतम 01 लाख वर्ग फीट में न्यूनतम ₹20 करोड़ के पूंजी निवेश से विकसित** किए जाते हैं, वे इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

   ii. इस नीति में पारिभाषित ऐसे **साइलोज़**, जो **04 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र में ₹30 करोड़ के न्यूनतम पूंजी निवेश से विकसित** किए जाते हैं, वे नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

   iii. इस नीति में पारिभाषित ऐसी **कोल्ड–चेन** सुविधा, जो **20,000 वर्ग फीट के न्यूनतम क्षेत्र में न्यूनतम ₹15 करोड़ के पूंजी निवेश से विकसित** की जाती है, वह इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

5) **विकासकर्ता** का अभिप्राय इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से सृजित की गई प्रोपराइटरशिप, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, ट्रस्ट, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में पंजीकृत किसी विधिक इकाई से है।

6) **संचालक** का अभिप्राय किसी भी विधिक इकाई से है, जिसे इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के परिसर को व्यवसाय संचालन के लिए पट्टे/किराए पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस परियोजना के विकासकर्ता/संचालक को उपलब्ध होते रहेंगे। संचालक के रूप में

Scanned with CamScanner

अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम पट्टा/किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।

7) **पूंजी निवेश :** किसी पात्र वेयरहाउस अथवा साइलो अथवा कोल्ड–चेन सुविधा में पूंजी निवेश का अभिप्राय भूमि, भवन, उपकरण हैं डलिंग, संबंधित सुविधाओं, टूल्स व उपकरणों तथा अन्य ऐसी परिसंपत्तियों में किए गए निवेश सहित अवस्थापना सुविधाओं के विकास में निवेश से है, जिसमें निम्नलिखित मूल्य सम्मिलित हैं–

भूमि	भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार (स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान को छोड़कर)वास्तविक क्रय मूल्य परियोजना हेतु भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा। उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य संस्था द्वारा भूमि का आवंटन किए जाने के प्रकरण में, (स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा। नोट : पूंजी निवेश की गणना के उद्देश्य से कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 40 प्रतिशत (जिसमें भूमि का वास्तविक मूल्य, भवन की कुल लागत, अन्य निर्माण, उपकरण एवं अधिष्ठापन (Installations) तथा इस नीति में पारिभाषित अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हैं) को कुल भूमि के घटक के रूप में विचारित किया जाएगा।
भवन	भवन का अभिप्राय परियोजना हेतु निर्मित एक नवीन भवन अथवा प्रशासनिक भवन सहित परियोजना के लिए अर्जित एक नए एवं अप्रयुक्त भवन से है। इसमें मुख्य रूप से माल भंडारण (Commodity storage) एवं हैंडलिंग हेतु निर्माण किए गए नवीन भवनों की लागत सम्मिलित है, जिसमें कार्गो हैंडलिंग उपकरण, वाहन लोडिंग रैंप, क्रॉस डॉकिंग सुविधाएं तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग संरचनाओं को स्थापित करने के लिए निर्माण स्थल सम्मिलित है। भवन में परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं (यदि कोई हो) हेतु विकसित किए गए परिसर की लागत भी सम्मिलित होगी तथा भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स संचालन से संबंधित अन्य भवनों पर किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार विचार किया जाएगा। पुराने भवन के अधिग्रहण अथवा किसी भवन की मरम्मत पर होने वाले व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।
अन्य निर्माण	अन्य निर्माण का अभिप्राय परिसर की दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, जल की टंकियां,

Scanned with CamScanner

	जल एवं गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क तथा अन्य संबंधित निर्माण से है।
उपकरण एवं अधिष्ठापन (Installation)	उपकरण एवं अधिष्ठापन का अभिप्राय परिवहन, नींव, निर्माण, स्थापना, इंस्टालेशन तथा विद्युतीकरण की लागत सहित भंडारण व लॉजिस्टिक्स संचालन हेतु किसी भी नए स्वदेशी/ आयातित उपकरण अथवा मशीनरी को प्राप्त करने की लागत से है। विद्युतीकरण की लागत में उपकेंद्र एवं ट्रांसफार्मर की लागत सम्मिलित होगी। लोडिंग/अनलोडिंग सहित भंडारण व लॉजिस्टिक्स संचालन में सहायक अन्य टूल्स व उपकरण भी सम्मिलित किए जाएंगे। उपकरण एवं इंस्टालेशन में निम्नलिखित भी सम्मिलित हो सकते हैं : 1. परियोजना के केवल परिसर के भीतर परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहन तथा उक्त परिसर के भीतर माल के परिवहन में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कार्गो हैंडलिंग उपकरण। 2. गैर–पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपकरण। 3. कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए उपकरण। 4. प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए उपकरण। 5. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरण। 6. सामग्री हैंडलिंग में रोबोटिक्स एवं स्वचालन (Automation) सहित कुशल संचालन के लिए स्मार्ट लॉजिस्टिक्स उपकरण। 7. परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं (यदि हों)।
अवस्थापना सुविधाएं	उद्यम के परिसर को मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रंक लाइनों से जोड़ने वाली नई सड़कें, सीवर लाइन, जल निकासी, विद्युत लाइनें, रेलवे लाइनें/साइडिंग्स (केवल कैप्टिव उपयोग हेतु) एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं (इकाई के संचालन के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सुविधाओं सहित) के विकास की लागत।

8) **अपात्र पूंजी निवेश** में कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक एवं पूर्व–संचालन व्यय; पूंजीकृत ब्याज; प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी की अधिप्राप्ति हेतु पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन व ड्रॉइंग, पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार तथा कैप्टिव उपयोग को छोड़कर विद्युत उत्पादन सम्मिलित

Scanned with CamScanner

हैं। पूंजी निवेश की गणना के लिए उक्त प्रकार के मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9) **पात्र निवेश अवधि (EIP)** का अभिप्राय नीति में पारिभाषित किसी पात्र वेयरहाउस/साइलो/कोल्ड चेन सुविधा परियोजना द्वारा निवेश पूर्ण करने की अवधि से है।निवेश की प्रथम् तिथि से प्रारंभ होकर प्रभावी अवधि में 03 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक की अवधि, पात्र निवेश अवधि होगी।

10) **पात्र पूंजी निवेश (ECI)** का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र निवेश अवधि के दौरान किए गए पूंजी निवेश से है।

(क) यदि पूंजी निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत् निवेश, पात्र निवेश अवधि के दौरान प्रभावी तिथि के उपरांत किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार किए गए पूंजी निवेश को स्वीकार्य कुल प्रोत्साहनों को निर्धारित करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में विचारित किया जाएगा।

(ख) तथापि, यदि भूमि में निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व किया जाता है, तो भूमि में ऐसा निवेश किसी भी प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगा, किन्तु परियोजनाओं की पात्रता निर्धारित करने हेतु लेखा–मूल्य (Book value) पर ऐसी भूमि के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।

11) **नोडल संस्था** का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने के लिए उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) से है।

9.1.2 <u>प्रोत्साहन</u>

(अ) अग्रांत (Front-end) उपादान

क्रमांक	शीर्षक	प्रोत्साहन
1	**स्टांप ड्यूटी में छूट**	क्रय की गई अथवा पट्टे पर ली गई भूमि (न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि हेतु) पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट निम्नलिखित दरों पर प्रदान की जाएगी– • बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में 100 प्रतिशत की दर से • मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर) में 75 प्रतिशत की की दर से • गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में 50 प्रतिशत की दर से

Scanned with CamScanner

		स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर छूट प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।
2	**भू–उपयोग परिवर्तन चार्ज में रियायत**	भू–उपयोग परिवर्तन चार्ज में 75 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाएगी। *प्रदेश सरकार के संबंधित प्राधिकरण/संस्था में रियायत की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*
3	**विकास शुल्क में छूट**	विकास शुल्क में 75 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी। *राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण/संस्था में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*
4	**ग्राउण्ड कवरेज**	इस प्रकार की एकल (Stand-alone) भंडारण सुविधाओं को 60 प्रतिशत के ग्राउण्ड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।
5	**अग्रान्त उपादान (Front End Subsidy) के रूप में प्रस्तावित छूट समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी जमा करने पर अनुमन्य होगी।**	
नोट : उक्त वर्णित छूट/रियायतें संबंधित विभाग द्वारा नोडल संस्था द्वारा निर्गत की गई यूनीक आईडी के सत्यापन के उपरांत ही प्रदान की जाएंगी तथा आवेदक को प्रदान की गई छूट/रियायतों का विवरण नोडल संस्था को सूचित किया जाएगा।		

(ब) **पश्चांत (Back-end) उपादान**

क्रमांक	शीर्षक	प्रोत्साहन
1	**पूंजीगत् उपादान**	पात्र पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से वेयरहाउसेज़/साइलोस/कोल्ड–चेन सुविधा को निम्न प्रतिबंधों के साथ **पूंजीगत् उपादान** प्रदान किया जाएगा– •प्रदेश में कहीं भी उक्त सुविधाएं स्थापित करने पर अधिकतम ₹5 करोड़; • निर्दिष्ट लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने पर अधिकतम ₹10 करोड़ (प्रस्तर 8.4 के अनुसार) *नोट : वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के उपरांत एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।*
2	**इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट**	**नई परियोजनाओं/औद्योगिक इकाई को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी** में 10 वर्ष की अवधि हेतु **100 प्रतिशत की दर से छूट** प्रदान की जाएगी।
3	**गुणवत्ता प्रमाणन लागत प्रतिपूर्ति**	प्रत्येक परियोजना को अधिकतम ₹5 लाख की सीमा के अधीन भुगतान की गई **गुणवत्ता प्रमाणन लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति** की जाएगी। **यह प्रतिपूर्ति औद्योगिक इकाई द्वारा वास्तविक रूप से 'गुणवत्ता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रदान की जाएगी।**

Scanned with CamScanner

		नोट– वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के उपरांत एकमुश्त भुगतान किया जाएगा
4	**कौशल विकास उपादान**	प्रत्येक परियोजना को 05 वर्ष तक प्रति वर्ष अधिकतम 50 प्रशिक्षुओं की सीमा के अधीन 6 माह तक ₹1000 प्रति प्रशिक्षु प्रति माह के मानदेय की प्रतिपूर्ति के रूप में **कौशल विकास उपादान** का भुगतान किया जाएगा
5	**इस नीति के अन्तर्गत लाभान्वित इकाइयों को भारत सरकार की कृषि अवस्थापना निधि योजना के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होंगे।**	

नोट–

1) किसी भी परियोजना को प्रदान की गई छूट एवं समस्त प्रोत्साहन–लाभों का योग इस नीति के अंतर्गत पारिभाषित पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
2) अतः नोडल संस्था (यदि कोई हो) द्वारा निर्गत की गई यूनीक आईडी के सापेक्ष आवेदक द्वारा प्राप्त छूटों के मूल्यांकन एवं वाणिज्यिक संचालन के प्रारंभ होने के उपरांत परियोजना को प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

9.2. ड्राई पोर्ट्स (Dry Ports)

9.2.1 प्रमुख परिभाषाएं

1) **प्रभावी तिथि** का अभिप्राय इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से है।
2) **प्रभावी अवधि**का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।
3) **कट–ऑफ तिथि** का अभिप्राय नीति की प्रभावी तिथि अथवा उसके उपरांत निवेश प्रारंभ होने की स्थिति में परियोजना का निवेश प्रारंभ होने की तिथि से है। यदि निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ होता है, तो कट–ऑफ तिथि, नीति की प्रभावी तिथि होगी। तथापि, यदि प्रभावी तिथि से पूर्व केवल भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो जिस तिथि को पूंजी निवेश के अंतर्गत पारिभाषित (भूमि को छोड़कर) किसी भी अन्य मद के अधीन प्रथम निवेश, प्रभावी तिथि को अथवा उसके उपरांत किया जाता है, उसे कट–ऑफ तिथि माना जाएगा। यद्यपि कट–ऑफ तिथि इस नीति की प्रभावी अवधि के उपरांत नहीं हो सकती है।
4) **पात्र ड्राई पोर्ट परियोजना** का अभिप्राय उत्तर प्रदेश मेंस्थापित निम्नलिखित सुविधाओं से है–

   i. **अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)** का अभिप्राय एक ड्राई–पोर्ट सुविधा से है, जिसको **न्यूनतम 10 एकड़ भूमि में न्यूनतम ₹50 करोड़ के पूंजी निवेश से विकसित** किया गया हो तथा जिसमें इस प्रकार के स्थाई रूप से स्थापित (फिक्स्ड) अथवा अन्य

Scanned with CamScanner

इंस्टॉलेशंस, उपकरण, मशीनरी इत्यादि उपलब्ध हों, जो सीमा शुल्क नियंत्रण (कस्टम्स कंट्रोल) के अंतर्गत लदे हुए (Laden) आयात/निर्यात कंटेनर्स की हैंडलिंग तथा/अथवा निकासी तथा कस्टम बॉन्डेड अथवा नॉन–बॉन्डेड कार्गो के भंडारण की सुविधा से युक्त सेवाएं प्रदान करती हैं। ऐसी परियोजनाओं द्वारा अवस्थापना सुविधाओं में आंतरिक सड़क कनेक्टिविटी, कस्टम/नॉन–कस्टम कार्गो की वेयरहाउसिंग, ट्रक टर्मिनल्स आदि तथा कुशल संचालन हेतु आवश्यक अन्य सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

ii. **कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)**, जिसमें एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) सम्मिलित हैं, का अभिप्राय एक ड्राई–पोर्ट/हवाई–अड्डे की सुविधा से है, जिसको **न्यूनतम 10 एकड़ भूमि में न्यूनतम ₹50 करोड़ के पूंजी निवेश से विकसित** किया गया हो तथा जिसमें फिक्स्ड अथवा अन्य इंस्टॉलेशन, उपकरण, मशीनरी इत्यादि उपलब्ध हों, जो कस्टम्स कंट्रोलके अंतर्गत लदे हुए (Laden) आयात, निर्यात कंटेनर्स की हैंडलिंग/निकासी तथा कस्टम बॉन्डेड अथवा नॉन–बॉन्डेड कार्गो के भंडारण की सुविधा से युक्त सेवाएं प्रदान करते हैं तथा पार्किंग क्षेत्र एवं संचालन करने के लिए वांछित ऐसी अन्य सुविधाओं से युक्त हों। ऐसी परियोजनाओं द्वारा अवस्थापना सुविधाएं, जैसे आंतरिक सड़क कनेक्टिविटी, रेलवे साइडिंग्स, कस्टम्स/ नॉन–कस्टम्स बॉन्डेड भंडारण, ट्रक टर्मिनल्स तथा कुशल संचालन से संबंधित आवश्यकतानुसार अन्य उपयोगकर्ता सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

5) **विकासकर्ता** का अभिप्राय इस नीति में परिभाषित पात्र परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से सृजित की गई प्रोपराइटरशिप, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, ट्रस्ट, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में पंजीकृत किसी विधिक इकाई से है।

6) **संचालक** का अभिप्राय किसी भी विधिक इकाई से है, जिसे इस नीति में परिभाषित पात्र परियोजना के परिसर को व्यवसाय संचालन के लिए पट्टे/किराए पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस परियोजना के विकासकर्ता/संचालक को उपलब्ध होते रहेंगे। संचालक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम पट्टा/किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।

7) **पूंजी निवेश :** किसी आईसीडी/सीएफएस/एएफएस परियोजना में पूंजी निवेश का अभिप्राय भूमि, भवन, उपकरण हैंडलिंग, संबंधित सुविधाओं, टूल्स व उपकरणों तथा अन्य ऐसी परिसंपत्तियों में किए गए निवेश सहित अवस्थापना सुविधाओं के विकास में निवेश से है, जिसमें निम्नलिखित मूल्य सम्मिलित हैं–

Scanned with CamScanner

भूमि	भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार (स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान को छोड़कर)वास्तविक क्रय मूल्य परियोजना हेतु भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा। उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य संस्था द्वारा भूमि का आवंटन किए जाने के प्रकरण में, (स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा। नोट : पूंजी निवेश की गणना के उद्देश्य से कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 40 प्रतिशत (जिसमें भूमि का वास्तविक मूल्य, भवन की कुल लागत, अन्य निर्माण, उपकरण एवं अधिष्ठापन (Installations) तथा इस नीति में पारिभाषित अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हैं) को कुल भूमि घटक के रूप में विचारित किया जाएगा।
भवन	भवन का अभिप्राय परियोजना हेतु निर्मित एक नवीन भवन अथवा प्रशासनिक भवन सहित परियोजना के लिए अर्जित एक नए एवं अप्रयुक्त भवन से है। निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु निर्मित नवीन भवनों की लागत वास्तविक व्यय के अनुसार मानी जाएगी – • वाहन सेवा क्षेत्र (पार्किंग क्षेत्र, विश्राम स्थलों को छोड़कर) सहित इंटर–मोडल फ्रेट ट्रांसफर, कार्गो का आवागमन तथा माल ढुलाई (Transportation) • सामग्री हैंडलिंग के उपकरण की स्थापना • मूल्य–वर्धित सेवाएं, जैसे– पैकेजिंग, री–पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एवं री–प्रोसेसिंग • बॉन्डेड भंडारण सहित वस्तु भंडारण सुविधाएं (Commodity Storage Facilities) तथा कस्टम निकासी सेवाओं एवं संगरोध (Quarantine) क्षेत्रों सहित एक्जिम निकासी सेवाएं • परीक्षण सुविधाएं तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं (यदि कोई हो) • लॉजिस्टिक्स संचालन से संबंधित कोई अन्य भवन • लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, ट्रांसपोर्टरों एवं प्रशासन के लिए कार्यालय स्थान पुराने भवन के अधिग्रहण अथवा किसी भवन की मरम्मत पर होने वाले व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।
अन्य निर्माण	अन्य निर्माण का अभिप्राय परिसर की दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, जल की टंकियां, जल एवं गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क तथा अन्य संबंधित निर्माण से है।
उपकरण एवं	उपकरण एवं अधिष्ठापन का अभिप्राय परिवहन, नींव, निर्माण, स्थापना, इंस्टालेशन तथा विद्युतीकरण की लागत सहित भंडारण व

Scanned with CamScanner

अधिष्ठापन (Installation)	लॉजिस्टिक्स संचालन हेतु किसी भी नए स्वदेशी/ आयातित उपकरण अथवा मशीनरी को प्राप्त करने की लागत से है। विद्युतीकरण की लागत में उपकेंद्र एवं ट्रांसफार्मर की लागत सम्मिलित होगी। लोडिंग/अनलोडिंग सहित भंडारण व लॉजिस्टिक्स संचालन में सहायक अन्य टूल्स व उपकरण भी सम्मिलित किए जाएंगे। उपकरण एवं इंस्टालेशन में निम्नलिखित भी सम्मिलित हो सकते हैं:– 1. परियोजना के,मात्र परिसर के भीतर परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहन तथा उक्त परिसर के अन्दर माल के परिवहन में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कार्गो हैंडलिंग उपकरण। 2. गैर–पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपकरण। 3. कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए उपकरण। 4. प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए उपकरण। 5. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरण। 6. सामग्री हैंडलिंग में रोबोटिक्स एवं स्वचालन (Automation) सहित कुशल संचालन के लिए स्मार्ट लॉजिस्टिक्स उपकरण। 7. परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं (यदि हों)।
अवस्थापना सुविधाएं	उद्यम के परिसर को मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रंक लाइनों से जोड़ने वाली नई सड़कें, सीवर लाइन, जल निकासी, विद्युत लाइनें, रेलवे लाइनें/साइडिंग्स (केवल कैप्टिव उपयोग हेतु) एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं (इकाई के संचालन के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सुविधाओं सहित) के विकास की लागत।

8) **अपात्र पूंजी निवेश** में कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक एवं पूर्व–संचालन व्यय; पूंजीकृत ब्याज; प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी की अधिप्राप्ति हेतु पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन व ड्रॉइंग; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार तथा कैप्टिव उपयोग को छोड़कर विद्युत उत्पादन सम्मिलित हैं। पूंजी निवेश की गणना के लिए उक्त प्रकार के शीर्षों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9) **पात्र निवेश अवधि (EIP)** का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र आईसीडी/सीएफएस/एएफएसपरियोजना द्वारा निवेश पूर्ण करने की अवधि से है। पात्र निवेश अवधि, निवेश की प्रथम् तिथि से प्रारंभ होकर प्रभावी अवधि में 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक की अवधि होगी।

10) **पात्र पूंजी निवेश (ECI)** का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र निवेश अवधि के दौरान किए गए पूंजी निवेश से है।

Scanned with CamScanner

(क) यदि पूंजी निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत्, पात्र निवेश अवधि के दौरान प्रभावी तिथि के उपरांत किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार किए गए पूंजी निवेश को स्वीकार्य कुल प्रोत्साहनों को निर्धारित करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में विचारित किया जाएगा। ।

(ख) तथापि, यदि भूमि में निवेश प्रभावी तिथि से पहले किया जाता है, तो भूमि में ऐसा निवेश किसी भी प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगा, किन्तु परियोजनाओं की पात्रता निर्धारित करने हेतु लेखा–मूल्य (Book value) पर ऐसी भूमि के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।

11) **नोडल संस्था** का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने के लिए उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) से है।

9.2.2 **<u>प्रोत्साहन</u>**

(अ) **अग्रांत (Front-end) उपादान :**

क्रमांक	शीर्षक	प्रोत्साहन
1	**स्टांप ड्यूटी में छूट**	राज्य में आईसीडी/सीएफएस/एएफएस परियोजना स्थापित करने हेतु क्रय की गई अथवा पट्टे पर ली गई भूमि (न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि हेतु) पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत् की दर से छूट प्रदान की जाएगी। *स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर छूट प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*
2	**भू–उपयोग परिवर्तन चार्ज में रियायत**	भू–उपयोग परिवर्तन चार्ज में 75 प्रतिशत् की रियायत प्रदान की जाएगी। *राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण/संस्था में रियायत की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*
3	**विकास शुल्क में छूट**	विकास शुल्क में 75 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी। *राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण/संस्था में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*

Scanned with CamScanner

4	**ग्राउण्ड कवरेज**	आईसीडी/सीएफएस/एएफएस एकल (Stand-alone) परियोजनाओं को 60 प्रतिशत तक ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।
5	**अग्रान्त उपादान (Front End Subsidy) के रूप में प्रस्तावित छूट समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी जमा करने पर अनुमन्य होगी।**	
नोट : उक्त वर्णित छूट/रियायतें संबंधित विभाग द्वारा, नोडल संस्था द्वारा निर्गत की गई यूनीक आईडी के सत्यापन के उपरांत ही प्रदान की जाएंगी तथा आवेदक को प्रदान की गई छूट/रियायतों का विवरण नोडल संस्था को सूचित किया जाएगा।		

(ब) **पश्चांत (Back-end) उपादान :**

क्रमांक	शीर्षक	प्रोत्साहन
1	**पूंजीगत् उपादान**	पात्र पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत् की दर से आईसीडी/सीएफएस/एएफएस को निम्न प्रतिबंधों के अधीन **पूंजीगत् उपादान** प्रदान किया जाएगा– •प्रदेश में कहीं भी उक्त परियोजना स्थापित करने पर अधिकतम ₹25 करोड़; • निर्दिष्ट लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने पर अधिकतम ₹50 करोड़ (प्रस्तर 8.4 के अनुसार) <u>नोट</u> : *उपर्युक्त प्रोत्साहनों का 75 प्रतिशत, कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत पर किए गए व्यय के आधार पर चार किस्तों में प्रदान किया जाएगा। अगला 10 प्रतिशत पार्क में समस्त इकाइयों को भूमि आवंटन के पूर्ण होने पर प्रदान किया जाएगा तथा अंतिम 15 प्रतिशत कुल इकाइयों की 80 प्रतिशत इकाइयों द्वारा अपना वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के उपरांत प्रदान किया जाएगा।*
2	**इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट**	**नई परियोजनाओं/औद्योगिक इकाई को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी** में 10 वर्ष की अवधि हेतु **100 प्रतिशत की दर से छूट** प्रदान की जाएगी।
3	**कौशल विकास उपादान**	प्रत्येक परियोजना को 05 वर्ष तक प्रति वर्ष अधिकतम 50 प्रशिक्षुओं की सीमा के अधीन 6 माह तक ₹1000 प्रति प्रशिक्षु प्रति माह के मानदेय की प्रतिपूर्ति के रूप में **कौशल विकास उपादान** का भुगतान किया जाएगा।

नोट–

1) किसी भी परियोजना को प्रदान की गई छूट एवं समस्त प्रोत्साहन–लाभों का योग इस नीति के अंतर्गत पारिभाषित पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
2) अतः नोडल संस्था (यदि कोई हो) द्वारा निर्गत की गई यूनीक आईडी के सापेक्ष आवेदक द्वारा प्राप्त छूटों के मूल्यांकन एवं वाणिज्यिक संचालन के प्रारंभ होने के उपरांत परियोजना को प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

Scanned with CamScanner

9.2.3 **यदि ड्राई पोर्ट/एयर फ्रेट स्टेशन में पुलिस स्टेशन/चौकी बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी स्थापना के लिए विकासकर्ता/सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।**

9.3. लॉजिस्टिक्स पार्क(Logistics Park)

9.3.1 प्रमुख परिभाषाएं

1) **प्रभावी तिथि** का अभिप्राय इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से है।

2) **प्रभावी अवधि**का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।

3) **कट–ऑफ तिथि** का अभिप्राय नीति की प्रभावी तिथि अथवा उसके उपरांत निवेश प्रारंभ होने की स्थिति में परियोजना का निवेश प्रारंभ होने की तिथि से है। यदि निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ होता है, तो कट–ऑफ तिथि, नीति की प्रभावी तिथि होगी। तथापि, यदि प्रभावी तिथि से पूर्व केवल भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो जिस तिथि को पूंजी निवेश के अंतर्गत पारिभाषित (भूमि को छोड़कर) किसी भी अन्य शीर्ष के अधीन प्रथम निवेश, प्रभावी तिथि को अथवा उसके उपरांत किया जाता है, उसे कट–ऑफ तिथि माना जाएगा। यद्यपि कट–ऑफ तिथि इस नीति की प्रभावी अवधि के उपरांत नहीं हो सकती है।

4) **पात्र लॉजिस्टिक्स पार्क** का अभिप्राय ऐसी परियोजना से है, जिसको उत्तर प्रदेश में**न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में विकसित** किया गया हो तथा जिनमें निम्नलिखित सेवाएं (सांकेतिक) उपलब्ध हों–

i. लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, जैसे–कार्गो समुच्चयन/पृथक्करण, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग/रीपैकेजिंग, टैगिंग/लेबलिंग, वितरण/उपभोक्ता वितरण, कार्गो एवं कंटेनर्स का इंटर–मोडल स्थानांतरण, खुला तथा/अथवा बंद भंडारण, तापमान–नियंत्रित तथा/अथवा परिवेशी (Ambient) भंडारण, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन्स, कंटेनर टर्मिनल्स, सामग्री हैंडलिंग उपकरण तथा माल के आवागमन एवं वितरण से संबंधित अन्य सुविधाएं।

ii. अवस्थापना सुविधाएं, जैसे– आंतरिक सड़कें, आंतरिक सार्वजनिक परिवहन, विद्युत लाइनें, फीडर, संचार सुविधाएं, खुले एवं हरित स्थान, जलापूर्ति एवं जल वर्धन सुविधाएं, सीवेज व ड्रेनेज लाइन, उत्प्रवाह उपचार एवं निस्तारण सुविधाएं, अग्निशमन यंत्र व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाएं।

iii. व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक सुविधाएं, जैसे–डॉरमेट्रीज़, अतिथि गृह, कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र एवं औषधालय, पेट्रोल पंप तथा

Scanned with CamScanner

ईलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, कार्यालय स्थान व प्रशासनिक कार्यालय।

iv. सामान्य सुविधाएं, जैसे–वेट ब्रिज (Weight Bridge), कौशल विकास केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, सब–कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन सेंटर, वाहनों की मरम्मत की दुकान एवं उत्पादन मशीनरी।

5) **विकासकर्ता** का अभिप्राय इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से सृजित की गई प्रोपराइटरशिप, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, ट्रस्ट, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी)अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में पंजीकृत किसी विधिक इकाई से है।

6) **संचालक** का अभिप्राय किसी भी विधिक इकाई से है, जिसे इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के परिसर को व्यवसाय संचालन के लिए पट्टे/किराए पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस परियोजना के विकासकर्ता/संचालक को उपलब्ध होते रहेंगे। संचालक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम पट्टा/किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।

7) **पूंजी निवेश :** किसी लॉजिस्टिक्स पार्क में पूंजी निवेश का अभिप्राय भूमि, भवन, उपकरणहैंडलिंग, संबंधित सुविधाओं, टूल्स व उपकरणों तथा अन्य ऐसी परिसंपत्तियों में किए गए निवेश सहित अवस्थापना सुविधाओं के विकास में निवेश से है, जिसमें निम्नलिखित मूल्य सम्मिलित हैं–

भूमि	भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार (स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान को छोड़कर) वास्तविक क्रय मूल्य परियोजना हेतु भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा। उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य संस्था द्वारा भूमि का आवंटन किए जाने के प्रकरण में (स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा। नोट : पूंजी निवेश की गणना के उद्देश्य से कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 40 प्रतिशत (जिसमें भूमि का वास्तविक मूल्य, भवन की कुल लागत, अन्य निर्माण, उपकरण एवं अधिष्ठापन (Installations) तथा इस नीति में पारिभाषित अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हैं) को कुल भूमि घटक के रूप में विचारित किया जाएगा।
भवन	भवन का अभिप्राय परियोजना हेतु निर्मित एक नवीन भवन अथवा प्रशासनिक भवन सहित परियोजना के लिए अर्जित एक नए एवं अप्रयुक्त भवन से है। निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु निर्मित नवीन भवनों की लागत वास्तविक

Scanned with CamScanner

	व्यय के अनुसार मानी जाएगी– • इंटर–मोडल फ्रेट परिवहन, कार्गो, समुच्चयन/पृथक्करण एवं चलन क्षेत्र (Movement Area) • वाहन सेवा क्षेत्र (पार्किंग क्षेत्र, विश्राम स्थलों को छोड़कर) सहित इंटर–मोडल फ्रेट ट्रांसफर, कार्गो का आवागमन तथा माल ढुलाई (Transportation) • सामग्री हैंडलिंग के उपकरण की स्थापना • मूल्य–वर्धित सेवाएं, जैसे– पैकेजिंग, री–पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एवं री–प्रोसेसिंग • कस्टम निकासी सेवाओं एवं संगरोध (Quarantine) क्षेत्रों सहित एक्जिम (EXIM) निकासी सेवाएं • लॉजिस्टिक्स संचालन से संबंधित कोई अन्य भवन • परीक्षण सुविधाएं तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं (यदि कोई हो) • लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, ट्रांसपोर्टरों एवं प्रशासनिक तथा कार्यालय स्थान • डॉरमेट्री, अतिथि गृह, कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र व औषधालय, पेट्रोल पंप एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं सहित वाणिज्यिक भवन • वेट ब्रिज (Weight bridge), कौशल विकास केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, सब–कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन सेंटर, वाहनों एवं उत्पादन मशीनरी के लिए मरम्मत केंद्र सहित सामान्य सुविधाओं हेतु परिसर पुराने भवन के अधिग्रहण अथवा किसी भवन की मरम्मत पर होने वाले व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।
अन्य निर्माण	अन्य निर्माण का अभिप्राय परिसर की दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, जल की टंकियां, जल एवं गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क तथा अन्य संबंधित निर्माण से है।
उपकरण एवं अधिष्ठापन (Installation)	उपकरण एवं अधिष्ठापन का अभिप्राय परिवहन, नींव, निर्माण, स्थापना, इंस्टालेशन तथा विद्युतीकरण की लागत सहित भंडारण व लॉजिस्टिक्स संचालन हेतु किसी भी नए स्वदेशी/ आयातित उपकरण अथवा मशीनरी को प्राप्त करने की लागत से है। इसमें लोडिंग/अनलोडिंग, कार्गो समुच्चयन/पृथक्करण, कंटेनर फ्रेट स्टेशन्स, कंटेनर टर्मिनल्स, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, तथा लॉजिस्टिक्स से संबंधित माल के आवागमन एवं हैंडलिंग से संबंधित अन्य सुविधाओं सहित लॉजिस्टिक्स संचालन में सहायक अन्य टूल्स व उपकरण भी सम्मिलित होंगे। विद्युतीकरण की लागत में उपकेंद्र एवं ट्रांसफार्मर की लागत सम्मिलित होगी। उपकरण एवं इंस्टालेशन में निम्नलिखित भी सम्मिलित हो सकते हैं :

Scanned with CamScanner

	1. परियोजना के केवल परिसर के भीतर परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहन तथा उक्त परिसर के भीतर माल के परिवहन में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सामग्री हैंडलिंग उपकरण। 2. गैर–पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपकरण। 3. कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए उपकरण। 4. प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए उपकरण। 5. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरण। 6. सामग्री हैंडलिंग में रोबोटिक्स एवं स्वचालन सहित कुशल संचालन के लिए स्मार्ट लॉजिस्टिक्स उपकरण। 7. परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं (यदि हों)।
अवस्थापना सुविधाएं	उद्यम के परिसर को मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रंक लाइनों से जोड़ने वाली आंतरिक सड़कें, आंतरिक सार्वजनिक परिवहन, विद्युत लाइनें, फीडर, संचार सुविधाएं, खुले एवं हरित स्थान, जलापूर्ति एवं जल वर्धन सुविधाएं, सीवेज व ड्रेनेज लाइन, उत्प्रवाह उपचार एवं निस्तारण सुविधाएं, अग्निशमन यंत्र व्यवस्था तथा रेलवे लाइनें/साइडिंग्स सहित परियोजना के संचालन हेतु आवश्यक अन्य सुविधाएं।

8) **अपात्र पूंजी निवेश** में कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक एवं पूर्व–संचालन व्यय; पूंजीकृत ब्याज; प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी की अधिप्राप्ति हेतु पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन व ड्रॉइंग; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार तथा कैप्टिव उपयोग को छोड़कर विद्युत उत्पादन सम्मिलित हैं। पूंजी निवेश की गणना के लिए उक्त प्रकार के शीर्षों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9) **पात्र निवेश अवधि (EIP)** का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास हेतु निवेश पूर्ण करने की अवधि से है। पात्र निवेश अवधि, निवेश की प्रथम् तिथि से प्रारंभ होकर प्रभावी अवधि में 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक की अवधिहोगी।

10) **पात्र पूंजी निवेश (ECI)** का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र निवेश अवधि के दौरान किए गए पूंजी निवेश से है।

(क) यदि पूंजी निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत्, पात्र निवेश अवधि के दौरान प्रभावी तिथि के उपरांत किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार किए गए पूंजी निवेश को स्वीकार्य कुल प्रोत्साहनों को निर्धारित करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में विचारित किया जाएगा। ।

(ख) तथापि, यदि भूमि में निवेश प्रभावी तिथि से पहले किया जाता है, तो भूमि में ऐसा निवेश किसी भी प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगा,

Scanned with CamScanner

किन्तु परियोजनाओं की पात्रता निर्धारित करने हेतु लेखा–मूल्य (Book value) पर ऐसी भूमि के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।

11) **नोडल संस्था** का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने के लिए उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) से है।

9.3.2 <u>प्रोत्साहन</u>

(अ) **अग्रांत (Front-end) उपादान :**

क्रमांक	शीर्षक	प्रोत्साहन
1	**स्टांप ड्यूटी में छूट**	राज्य में लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने हेतु क्रय की गई अथवा पट्टे पर ली गई भूमि (न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि हेतु) पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत् की दर से छूट प्रदान की जाएगी। *स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर छूट प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*
2	**भू–उपयोग परिवर्तन चार्ज में रियायत**	भू–उपयोग परिवर्तन चार्ज में 75 प्रतिशत् की रियायत प्रदान की जाएगी। *राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण/संस्था में रियायत की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*
3	**विकास शुल्क में छूट**	विकास शुल्क में 75 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी। *राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण/संस्था में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*
4	**ग्राउण्ड कवरेज**	लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजनाओं को 60 प्रतिशत तक ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते परियोजना द्वारा सेट–बैक, अग्नि–सुरक्षा एवं FSI नियमों का अनुपालन किया जाता है।
5	**अन्य सुविधाएं**	1) लॉजिस्टिक्स पार्क को अन्य गैर–लॉजिस्टिक्स **सुविधाओं** अर्थात् वाणिज्यिक एवं सामान्य सुविधाए प्रदान करने हेतु कुल भूमि क्षेत्रफल का अधिकतम 30 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति होगी (जैसा कि प्रस्तर 9.3.1 (4)iii, iv में पारिभाषित है) 2) लॉजिस्टिक्स पार्क को 'लॉजिस्टिक्स **सुविधाओं**' (जैसा कि प्रस्तर 9.3.1 (4)i में पारिभाषित है) हेतु '1' के FSI तथा अन्य

Scanned with CamScanner

		गैर–लॉजिस्टिक्स **सुविधाओं**, अर्थात् वाणिज्यिक एवं सामान्य **सुविधाओं** के लिए '1.5' तक के FSI की अनुमति होगी (जैसा कि प्रस्तर 9.3.1 (4) iii, iv में पारिभाषित है)। 3) 'लॉजिस्टिक्स **सुविधाओं**' के क्षेत्र से गैर–लॉजिस्टिक्स **सुविधाओं** के क्षेत्र में (प्रस्तर 9.3.1 (4) iii, iv) अथवा इसके विपरीत Floating FSI की अनुमति नहीं होगी, किन्तु 'लॉजिस्टिक्स **सुविधाओं**' एवं 'गैर–लॉजिस्टिक्स **सुविधाओं**' के संबंधित क्षेत्रों के अन्दर Floating FSI की अनुमति होगी। **फ्लोटिंग FSI का तात्पर्य एक परियोजना के अन्तर्गत किसी बिल्डिंग के अप्रयुक्त FSI को अन्य बिल्डिंग में उपयोग किए जाने से है। लॉजिस्टिक्स अथवा गैर लॉजिस्टिक्स सुविधा क्षेत्र में अनुमन्य FSI का प्रयोग केवल उसी क्षेत्र में किया जा सकता है। एक क्षेत्र की अवशेष FSI का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में अनुमन्य नहीं होगा।**
6	**अग्रान्त उपादान (Front End Subsidy) के रूप में प्रस्तावित छूट समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी जमा करने पर अनुमन्य होगी।**	
नोट : उक्त वर्णित छूट/रियायतें संबंधित विभाग द्वारा, नोडल संस्था द्वारा निर्गत की गई यूनीक आईडी के सत्यापन के उपरांत ही प्रदान की जाएंगी तथा आवेदक को प्रदान की गई छूट/रियायतों का विवरण नोडल संस्था को सूचित किया जाएगा।		

(ब) **पश्चांत (Back-end) उपादान :**

क्रमांक	**शीर्षक**	**प्रोत्साहन**
1	**पूंजीगत् उपादान**	पात्र पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत् की दर से लॉजिस्टिक्स पार्क को निम्न प्रतिबंधों के अधीन **पूंजीगत् उपादान** प्रदान किया जाएगा– •प्रदेश में कहीं भी उक्त परियोजना स्थापित करने पर अधिकतम ₹25 करोड़; • निर्दिष्ट लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने पर अधिकतम ₹50 करोड़ (प्रस्तर 8.4 के अनुसार) <u>नोट</u> : *उपर्युक्त प्रोत्साहनों का 75 प्रतिशत, कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत पर किए गए व्यय के आधार पर चार किस्तों में प्रदान किया जाएगा। अगला 10 प्रतिशत पार्क में समस्त इकाइयों को भूमि आवंटन के पूर्ण होने पर प्रदान किया जाएगा तथा अंतिम 15 प्रतिशत कुल इकाइयों की 80 प्रतिशत इकाइयों द्वारा अपना वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के उपरांत प्रदान किया जाएगा।*
2	**इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से**	**नई परियोजनाओं/औद्योगिक इकाई को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी** में 10 वर्ष की अवधि हेतु **100 प्रतिशत की दर से छूट** प्रदान की जाएगी।

Scanned with CamScanner

	छूट	
3	कौशल विकास उपादान	प्रत्येक पार्क को 05 वर्ष तक प्रति वर्ष अधिकतम 50 प्रशिक्षुओं की सीमा के अधीन 6 माह तक ₹1000 प्रति प्रशिक्षु प्रति माह के मानदेय की प्रतिपूर्ति के रूप में **कौशल विकास उपादान** का भुगतान किया जाएगा।
नोट– 1) किसी भी परियोजना को प्रदान की गई छूट एवं समस्त प्रोत्साहन–लाभों का योग इस नीति के अंतर्गत पारिभाषित पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत् से अधिक नहीं होगा। 2) अतः नोडल संस्था(यदि कोई हो) द्वारा निर्गत की गई यूनीक आईडी के सापेक्ष आवेदक द्वारा प्राप्त छूटों के मूल्यांकन एवं वाणिज्यिक संचालन के प्रारंभ होने के उपरांत परियोजना को प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।		

9.4. अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधा(Inland Waterways Facility)

9.4.1 बर्थिंग टर्मिनल

1) **प्रभावी तिथि** का अभिप्राय इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से है।

2) **प्रभावी अवधि**का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।

3) **कट–ऑफ तिथि** का अभिप्राय नीति की प्रभावी तिथि अथवा उसके उपरांत निवेश प्रारंभ होने की स्थिति में परियोजना का निवेश प्रारंभ होने की तिथि से है। यदि निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ होता है, तो कट–ऑफ तिथि, नीति की प्रभावी तिथि होगी। तथापि, यदि प्रभावी तिथि से पूर्व केवल भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो जिस तिथि को पूंजी निवेश के अंतर्गत पारिभाषित (भूमि को छोड़कर) किसी भी अन्य शीर्ष के अधीन प्रथम निवेश, प्रभावी तिथि को अथवा उसके उपरांत किया जाता है, उसे कट–ऑफ तिथि माना जाएगा। यद्यपि कट–ऑफ तिथि इस नीति की प्रभावी अवधि के उपरांत नहीं हो सकती है।

4) **बर्थिंग टर्मिनल** का अभिप्राय राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के किनारे सामान्य उपयोगकर्ता सुविधा (गैर–कैप्टिव उपयोग) के रूप में स्थापित किए गए न्यूनतम 5,000 टन क्षमता के टर्मिनल से है, जिसमें ₹20 करोड़ का न्यूनतम पूंजी निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) किया गया हो तथा कार्गो–अंतर्देशीय पोतों को अनलोड अथवा लोड करने की सुविधा हो।

5) पात्र बर्थिंग टर्मिनल में **पूंजी निवेश** का अभिप्राय ऐसे बर्थिंग टर्मिनल के विकास की लागत से है, जिसमें प्रदेश में विकसित टर्मिनल के संचालन के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास में निवेश (भूमि

Scanned with CamScanner

लागत को छोड़कर) सहित भवन, हैंडलिंग उपकरण, संबंधित सुविधाओं, उपकरणों व टूल्स तथा अन्य अचल परिसंपत्तियों में निवेश सम्मिलित है।

6) **अपात्र पूंजी निवेश** में कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक एवं पूर्व–संचालन व्यय; पूंजीकृत ब्याज; प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी की अधिप्राप्ति हेतु पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन व ड्रॉइंग; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार तथा कैप्टिव उपयोग को छोड़कर विद्युत उत्पादन सम्मिलित हैं। पूंजी निवेश की गणना के लिए उक्त प्रकार के शीर्षों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7) **पात्र निवेश अवधि (EIP)** का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के विकास हेतु निवेश पूर्ण करने की अवधि से है। पात्र निवेश अवधि, निवेश की प्रथम् तिथि से प्रारंभ होकर प्रभावी अवधि में 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक की अवधिहोगी।

8) **पात्र पूंजी निवेश (ECI)** का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र निवेश अवधि के दौरान किए गए पूंजी निवेश से है।

(क) यदि पूंजी निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत्, पात्र निवेश अवधि के दौरान प्रभावी तिथि के उपरांत किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार किए गए पूंजी निवेश को स्वीकार्य कुल प्रोत्साहनों को निर्धारित करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में विचारित किया जाएगा। ।

(ख) तथापि, यदि भूमि में निवेश प्रभावी तिथि से पहले किया जाता है, तो भूमि में ऐसा निवेश किसी भी प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगा, किन्तु परियोजनाओं की पात्रता निर्धारित करने हेतु लेखा–मूल्य (Book value) पर ऐसी भूमि के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।

9) **विकासकर्ता** का अभिप्राय इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से सृजित की गई प्रोपराइटरशिप, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, ट्रस्ट, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ),लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में पंजीकृत किसी विधिक इकाई से है।

10) **संचालक** का अभिप्राय किसी भी विधिक इकाई से है, जिसे इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के परिसर को व्यवसाय संचालन के लिए पट्टे/किराए पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस परियोजना

Scanned with CamScanner

के विकासकर्ता/संचालक को उपलब्ध होते रहेंगे। संचालक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम पट्टा/किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।

11) **नोडल संस्था** का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तदन्तर में शासनादेश के माध्यम से नामित संस्था से है।

12) **प्रोत्साहन**

(क) राज्य सरकार आगामी राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के उत्तर प्रदेश में आच्छादित क्षेत्र में बर्थिंग टर्मिनल स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश सरकार ऐसी सुविधाओं के विकास के लिए एक नामित नोडल संस्था के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराएगी।

(ख) ऐसी भूमि को प्रथम चरण में अधिकतम 06 ऐसी परियोजनाओं के विकास एवं संचालन के लिए बिल्ड–ओन–ऑपरेट–ट्रांसफर (Build Own Operate Transfer-BOOT) मॉडल पर अधिकतम **30** वर्ष की अवधि हेतु सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर प्रदान किया जाएगा। ऐसे टर्मिनलों के विकासकर्ताओं के चयन के लिए निविदा मानदंड न्यूनतम रियायत अवधि पर आधारित होंगे।

(ग) भूमि सहित परियोजना का स्वामित्व एवं अन्य समस्त विकसित अवस्थापना सुविधाओं को रियायती अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

(घ) ऐसे बर्थिंग टमिनल के विकासकर्ताओं को इस नीति में पारिभाषित इस प्रकार के टर्मिनल्स के विकास हेतु पात्र पूंजी निवेश पर ₹15 करोड़ की सीमा के अधीन 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत उपादान प्रदान किया जाएगा। इस उपादान को परियोजना के पूर्ण होने पर 03 वार्षिक किस्तों में प्रदान किया जाएगा।

(ङ) अवस्थापना विकास हेतु ऐसी सुविधाओं को ससमय नियोजन, अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए प्रदेश के पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।

<u>नोट</u>–

i. भूमि उपलब्ध कराने के लिए स्थानों का निर्धारण इस नीति के अंतर्गत गठित प्राधिकृत समिति (EC) द्वारा हितधारक परामर्श के माध्यम से नामित नोडल संस्था की संस्तुति पर किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

ii. इस नीति के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC)द्वारा नामित नोडल संस्था की संस्तुति पर परियोजनाओं की अधिकतम संख्या में वृद्धि की जा सकती है। प्रदेश में अन्य वॉटरवेज पर बर्थिंग टर्मिनल्स को विकसित करने तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के निर्णय हेतु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) अधिकृत होगी।

9.4.2 अंतर्देशीय पोत सुविधाएं (Inland Vessel)

1) **अंतर्देशीय पोत** (Inland Vessel) का अभिप्राय अंतर्देशीय पोत अधिनियम–2021 (Inland Vessel Act-2021) के अंतर्गत प्रदेश में आगामी राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के आच्छादित क्षेत्र में संचालन हेतु राज्य में पंजीकृत 'पोत' से है, जिसकी न्यूनतम क्षमता 500 टन हो।

2) प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग–1 में संचालन हेतु क्रय किए गए उपर्वर्णित परिभाषानुसार अंतर्देशीय पोतों के क्रय हेतु विनिर्माणकर्ताओं के माध्यम से **क्रय उपादान** प्रदान किया जाएगा। यह उपादान वास्तविक क्रय लागत के 25 प्रतिशत की दर से प्रति पोत ₹5 करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन प्रदान किया जाएगा।

3) नीति की प्रभावी अवधि के दौरान क्रय किए गए प्रथम 10 अंतर्देशीय पोतों को प्रति इकाई अधिकतम 04 पोतों के क्रय की सीमा के अधीन उपादान प्रदान किया जाएगा।

4) **नोडल संस्था** का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तदन्तर में शासनादेश के माध्यम से नामित संस्था से है।

नोट–इस नीति के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) द्वारा नामित नोडल संस्था की संस्तुति पर परियोजनाओं की अधिकतम संख्या में वृद्धि की जा सकती है। एचएलईसी द्वारा इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में आगामी अन्य जलमार्गों पर अंतर्देशीय पोतों को सम्मिलित करने पर भी निर्णय किया जा सकता है।

9.5. कार्गो टर्मिनल (Cargo Terminals)

1) **प्रभावी तिथि** का अभिप्राय इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से है।

2) **प्रभावी अवधि** का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।

Scanned with CamScanner

3) **कट–ऑफ तिथि** का अभिप्राय नीति की प्रभावी तिथि अथवा उसके उपरांत निवेश प्रारंभ होने की स्थिति में परियोजना का निवेश प्रारंभ होने की तिथि से है। यदि निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ होता है, तो कट–ऑफ तिथि, नीति की प्रभावी तिथि होगी। तथापि, यदि प्रभावी तिथि से पूर्व केवल भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो जिस तिथि को पूंजी निवेश के अंतर्गत पारिभाषित (भूमि को छोड़कर) किसी भी अन्य मद के अधीन प्रथम निवेश, प्रभावी तिथि को अथवा उसके उपरांत किया जाता है, उसे कट–ऑफ तिथि माना जाएगा। यद्यपि कट–ऑफ तिथि इस नीति की प्रभावी अवधि के उपरांत नहीं हो सकती है।

4) **पात्र कार्गो टर्मिनल परियोजना** का अभिप्राय निजी साइडिंग अथवा फ्रेट टर्मिनल सहित 02 प्रकार की परियोजनाओं से है, जो निम्नानुसार हैं–

   i. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं: इस नीति की प्रभावी अवधि के दौरान प्रदेश में स्थापित केवल ऐसी ग्रीनफील्ड कार्गो टर्मिनल (निजी साइडिंग अथवा निजी फ्रेट टर्मिनल सहित) परियोजनाएं, जो भारत सरकार के शासनादेश संख्या 2021/टीसी (एफएम)/18/23, दिनांक 15.12.2021 द्वारा निर्गत गति शक्ति मल्टी–मोडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) योजना–2021 के अंतर्गत अनुमोदित हों।

   ii. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं से भिन्न अन्य परियोजनाएं : इस नीति की प्रभावी अवधि के दौरान प्रदेश में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि क्षेत्र में न्यूनतम ₹20 करोड़ के पूंजी निवेश (भूमि की लागत को छोड़ कर) से स्थापित केवल ग्रीनफील्ड कार्गो टर्मिनल (निजी साइडिंग अथवा निजी फ्रेट टर्मिनल सहित) परियोजनाएं, जिनको सामान्य उपयोगकर्ता सुविधा (कैप्टिव उपयोग हेतु नहीं) के रूप में विकसित किया गया हो।

5) **पूंजी निवेश :** गति शक्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत तथा जीसीटी अनुमोदित परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं हेतुपूंजी निवेश का अभिप्राय भारत सरकार की जीसीटी योजना–2021 के अंतर्गत अनुमोदित ग्रीनफील्ड कार्गो टर्मिनल के विकास की लागत, जीसीटी संचालक अथवा किसी अन्य विकासकर्ता द्वारा सर्विंग स्टेशन पर टेक–ऑफ पॉइंट से अग्रेतर, भूमि की लागत को छोड़कर, लूप–लाइन के विकास की लागत एवं भारतीय रेलवे द्वारा वहन की जाने वाली अन्य पूंजीगत लागत (भारत सरकार की गति शक्ति मल्टी–मोडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) योजना–2021 के अनुच्छेद 5 के अनुसार) अथवा केंद्र/राज्य सरकार के विभाग/संस्था द्वारा वहन की जाने वाली पूंजीगत लागत से है।

6) **अपात्र पूंजी निवेश** में कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक एवं पूर्व–संचालन व्यय; पूंजीकृत ब्याज; प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी की अधिप्राप्ति हेतु व्यय; पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन व ड्रॉइंग; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार तथा कैप्टिव उपयोग को

Scanned with CamScanner

छोड़कर विद्युत उत्पादन सम्मिलित हैं। पूंजी निवेश की गणना के लिए उक्त प्रकार के मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7) **पात्र निवेश अवधि (EIP)** का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के विकास हेतु निवेश पूर्ण करने की अवधि से है। पात्र निवेश अवधि, निवेश की प्रथम् तिथि से प्रारंभ होकर प्रभावी अवधि में 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक की अवधि होगी।

8) **पात्र पूंजी निवेश (ECI)** का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र निवेश अवधि के दौरान किए गए पूंजी निवेश से है।

(क) यदि पूंजी निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत्, पात्र निवेश अवधि के दौरान प्रभावी तिथि के उपरांत किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार किए गए पूंजी निवेश को स्वीकार्य कुल प्रोत्साहनों को निर्धारित करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में विचारित किया जाएगा।

(ख) तथापि, यदि भूमि में निवेश प्रभावी तिथि से पहले किया जाता है, तो भूमि में ऐसा निवेश किसी भी प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगा, किन्तु परियोजनाओं की पात्रता निर्धारित करने हेतु लेखा–मूल्य (Book value) पर ऐसी भूमि के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।

9) **विकासकर्ता** का अभिप्राय इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से सृजित की गई प्रोपराइटरशिप, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, ट्रस्ट, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में पंजीकृत किसी विधिक इकाई से है।

10) **संचालक** का अभिप्राय किसी भी विधिक इकाई से है, जिसे इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के परिसर को व्यवसाय संचालन के लिए पट्टे/किराए पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस परियोजना के विकासकर्ता/संचालक को उपलब्ध होते रहेंगे। संचालक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम पट्टा/किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।

11) **नोडल संस्था** का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तदन्तर में शासनादेश के माध्यम से नामित की गई संस्था से है।

12) **प्रोत्साहन**

(क) प्रदेश सरकार कार्गो टर्मिनल्स हेतु नामित नोडल संस्था के माध्यम से पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना–2021 के अधीन अनुमोदित जीसीटी संचालकों अथवा एक नामित नोडल संस्था के माध्यम से

Scanned with CamScanner

गैर–जीसीटी अनुमोदित कार्गो टर्मिनलों के विकासकर्ताओं को भूमि (रेलवे भूमि को छोड़कर) प्रदान करेगी।

(ख) ऐसी भूमि को प्रथम् चरण में अधिकतम 25 ऐसी परियोजनाओं के विकास एवं संचालन हेतु बिल्ड–ओन–ऑपरेट–ट्रांसफर (Buid Own Operate Transfer - BOOT) मॉडल पर अधिकतम **30** वर्षों की अवधि के लिए पीपीपी आधार पर प्रदान किया जाएगा। ऐसे टर्मिनल्स के विकासकर्ताओं के चयन हेतु निविदा मानदंड न्यूनतम रियायत अवधि पर आधारित होगा।

(ग) भूमि एवं अन्य विकसित अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना का स्वामित्व रियायत अवधि की समाप्ति के उपरांत प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

(घ) लूप–लाइन के विकास की समस्त लागत प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(ङ) ऐसे टर्मिनल के विकासकर्ताओं को इस नीति में पारिभाषित इस प्रकार के टर्मिनल्स के विकास हेतु पात्र पूंजी निवेश पर ₹15 करोड़ की सीमा के अधीन 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत उपादान प्रदान किया जाएगा। इस उपादान को परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् 03 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा।

(च) **खनिजों के भण्डारण के लिए उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2018 प्रख्यापित है जिसके अन्तर्गत खनिज का भण्डारण नियमानुसार भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर किया जा सकता है। भण्डारण स्थल पर खनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध प्रपत्र के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी के लिए रायल्टी के पुनः भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है।**

(छ) इस प्रकार की सुविधाओं के ससमय नियोजन, अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु इनको पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा।

<u>नोट</u>–

i. भूमि उपलब्ध कराने के लिए स्थानों का निर्धारण इस नीति के अंतर्गत गठित प्राधिकृत समिति (EC) द्वारा हितधारक परामर्श के माध्यम से नामित नोडल संस्था की संस्तुति पर किया जाएगा।

ii. इस नीति के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) द्वारा नामित नोडल संस्था की संस्तुति पर परियोजनाओं की अधिकतम संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

9.6. ट्रकर्स पार्क (Truckers Park)

1) **प्रभावी तिथि** का अभिप्राय इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से है।

Scanned with CamScanner

2) **प्रभावी अवधि** का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।

3) **पात्रट्रकर्स पार्क** परियोजना का अभिप्राय राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवेज/राज्य राजमार्गों अथवा अन्य प्रमुख फ्रेट मार्गों के दोनों ओर 02 किमी तक की दूरी तक न्यूनतम् 10 एकड़ भूमि पर विकसित ट्रक ले-बे (Truck lay bay) एवं पार्किंग-सह-विश्राम स्थल से है। इन पार्कों में न्यूनतम 85 प्रतिशत् स्थान पार्किंग हेतु तथा 15 प्रतिशत् स्थान विश्राम एवं वाणिज्यिक गतिविधियों तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए आरक्षित होना चाहिए।

4) **विकासकर्ता** का अभिप्राय इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से सृजित की गई प्रोपराइटरशिप, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, ट्रस्ट, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में पंजीकृत किसी विधिक इकाई से है।

5) **संचालक** का अभिप्राय किसी भी विधिक इकाई से है, जिसे इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के परिसर को व्यवसाय संचालन के लिए पट्टे/किराए पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस परियोजना के विकासकर्ता/संचालक को उपलब्ध होते रहेंगे। संचालक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम पट्टा/किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।

6) **नोडल संस्था** का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तदन्तर में शासनादेश के माध्यम से नामित की गई संस्था से है।

7) **प्रोत्साहन**

पात्र ट्रकर्स पार्क्सके विकासकर्ताओं को वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पूर्व निम्नलिखित छूट/रियायतें अनुमन्य होंगी। ऐसी परियोजनाओं को प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल संस्था में पंजीकरण कराना होगा, जिस संस्था द्वारा आवेदन पत्र की प्रासंगिकता एवं पूर्णता की पुष्टि करने के उपरांत एक यूनीक आईडी निर्गत की जाएगी। इस स्तर पर इन प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए लेटर-ऑफ-कम्फर्ट अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, अनुवर्ती चरण में आवेदकों को लेटर-ऑफ-कम्फर्ट प्राप्त करना होगा।

क्रमांक	शीर्षक	प्रोत्साहन

Scanned with CamScanner

1	**स्टांप ड्यूटी में छूट**	राज्य में ट्रकर्स पार्कों को स्थापित करने हेतु 100 प्रतिशत् की दर सेस्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट भूमि के क्रय तथा प्रदेश सरकार के किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आवंटन पर प्रदान की जाएगी। *स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में छूट के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर छूट प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*
2	**भू–उपयोग परिवर्तन चार्ज में रियायत**	भू–उपयोग परिवर्तन चार्ज में 75 प्रतिशत् की रियायत प्रदान की जाएगी। *राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण/संस्था में रियायत की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*
3	**विकास शुल्क में छूट**	विकास शुल्क में 75 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी। *राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण/संस्था में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।*
नोट : उक्त वर्णित छूट/रियायतें, नोडल संस्थाद्वारा निर्गत की गई यूनीक आईडी के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की जाएंगी तथा विवरण नोडल संस्था को सूचित किया जाएगा।		

10. नीति का कार्यान्वयन

10.1. आवेदन की प्रक्रिया

(क) **भंडारण सुविधाओं, ड्राई पोर्ट्स तथा लॉजिस्टिक्स पार्क्स हेतु**

1) नीति के कार्यान्वयन हेतु नामित नोडल संस्था, यूपीसीडा द्वारा ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली (Online Incentive Management System – OIMS) के माध्यम से किया जाएगा। नोडल संस्था निम्नलिखित कार्य करेगी–

(क) नीति के अंतर्गत पारिभाषित Front-endप्रोत्साहन–लाभों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों/संस्थाओं के साथ समन्वय करना।

(ख) यूनीक आईडी प्राप्त कर चुके आवेदकों के आवेदनों की स्थिति को ट्रैक करना।

Scanned with CamScanner

(ग) इस नीति के अनुसार Back-endउपादान के लिए आवेदनों की समीक्षा एवं कार्यवाही करना।

2) नीति में प्रदत्त Back-end प्रोत्साहन हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा एवं जांच में समन्वय तथा Front-end लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए नोडल संस्थाद्वारा एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

3) इस नीति में पारिभाषित किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन (Front-end एवं Back-end उपादान) प्राप्त करने हेतु समस्त आवदेनों को नामित नोडल संस्था अर्थात यूपीसीडा के समक्ष यूनीक आईडी जारी करने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यूपीसीडा में नामित नोडल अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे–

(क) आवेदनों की पूर्णता एवं प्रासंगिकता की जांच करना

(ख) आवेदनों में त्रुटियों, विसंगति अथवा अप्रासंगिकता की जांचकरना

(ग) आवेदन में किसी भी विसंगति अथवा अपूर्णता के विषय में आवेदक को सूचित करना तथा ऐसे प्रकरणों में आवेदक की प्रतिक्रिया लेने के लिए पृच्छा प्रेषित करना

(घ) प्रोत्साहन प्रबंधन हेतु प्रत्येक पूर्ण एवं प्रासंगिक आवेदन के लिए एक 'यूनीक आईडी' निर्गत करना

आवेदक Front-endउपादान (छूट/रियायतें) इस नीति के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे। संबंधित विभाग/संस्था यूनीक आईडी के सत्यापन के उपरांत ही आवेदक को लाभ प्रदान करेगी।

4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के स्तर पर एक 'संवीक्षा समिति' का गठन किया जाएगा। प्रोत्साहनों हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के लिए संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को समिति में आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जाएगा।

5) आवेदनों को नोडल संस्था द्वारा संसाधित किया जाएगा तथा संवीक्षा समिति द्वारा आवश्यक मूल्यांकन के उपरांत आवेदनों को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्रकरणानुसार प्राधिकृत समिति (EC) अथवा लेटर–ऑफ–कम्फर्ट (LoC) स्वीकृत करने अथवा प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) <u>अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधाओं, कार्गो टर्मिनल्स एवं ट्रकर्स पार्क हेतु</u>

1) ऐसी परियोजनाओं के लिए इस नीति के प्राविधानों को लागू करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा एक नोडल संस्था नामित की जाएगी। यह

Scanned with CamScanner

संस्था प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदनों को संसाधित करेगी तथा संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय करेगी।

2) आवेदनों की समीक्षा एवं जांच के समन्वय के लिए नामित नोडल संस्था द्वारा एक समर्पित नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा तथा आवश्यक सुविधा प्रदान की जाएगी।

3) नोडल संस्था द्वारा आवेदनों की समीक्षा एवं संस्तुति करने हेतु संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों के सदस्यों से युक्त एक 'मूल्यांकन समिति' का गठन किया जाएगा, जो प्रकरणानुसार आवेदनों को लेटर–ऑफ–कम्फर्ट की स्वीकृति अथवा प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु प्राधिकृत समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) को संस्तुति करेगी।

10.2. अंतिम संस्तुति एवं अनुमोदन

1) इस नीति के अंतर्गत ₹100 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं की संस्तुति करने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त(आईआईडीसी) की अध्यक्षता में एक 'प्राधिकृत समिति' (EC) का गठन एक पृथक शासनादेश के माध्यम से किया जाएगा। इसमें संबंधित विभागों, यथा– आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, वित्त, न्याय, औद्योगिक विकास, परिवहन, नियोजन आदि के सदस्यों के साथ नोडल संस्था के प्रमुख,सदस्य संयोजक होंगे।

2) इस नीति के अनुसार ₹100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं की संस्तुति करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति' (HLEC)का गठन एक पृथक शासनादेश के माध्यम से किया जाएगा, इसमें संबंधित विभागों, यथा– आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, वित्त, न्याय, औद्योगिक विकास, परिवहन, नियोजन आदि के सदस्यों के साथ नोडल संस्था के प्रमुख,सदस्य संयोजक होंगे।

3) प्राधिकृत समिति (EC) अथवा उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) की संस्तुतियों के उपरांत 'लेटर–ऑफ–कम्फर्ट' (LoC) निर्गत करने के साथ–साथ प्रोत्साहन–लाभों के संवितरण के प्रस्तावों को अंतिम अनुमोदन के लिए निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा –

(क) मा. औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को ₹100 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं।

(ख) मा. मंत्रिपरिषद्, उत्तर प्रदेश शासन को ₹100 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं।

स्वीकृत प्रोत्साहन–लाभों का संवितरण नोडल संस्था द्वारा औद्योगिक विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

10.3. अन्य नियम एवं शर्तें

1) यह नीति, इसको अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी तथा 05 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए अथवा नवीन अथवा संशोधित नीति की घोषणा तक, जो भी पहले हो, तक वैध रहेगी।

2) इस नीति की अधिसूचना के उपरांत उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 के अंतर्गत किसी भी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस नीति की अधिसूचना निर्गत होने पर उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 निरसितहो जाएगी।

   (क) उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018के अंतर्गत प्रोत्साहनों के अनुमोदित पैकेज वाली परियोजनाएं लाभ की अधिकारी बनी रहेंगी। उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 के अंतर्गत पूर्व में निर्गत किए गए लेटर–ऑफ–कम्फर्ट में किसी भी संशोधन के प्रकरण में, उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संशोधन किया जाएगा।

   (ख) ऐसे प्रकरण, जो उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु लेटर–ऑफ–कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु यूपीसीडामें विचाराधीन हैं, उनको इस नवीन नीति के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन करने का मात्र एक बार विकल्प उपलब्ध होगा अथवा उक्त प्रकरण उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 के अंतर्गत विचारित किए जाते रहेंगे।

   (ग) यह विकल्प उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 के अंतर्गत विचाराधीन आवेदनों को इस नीति की अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि तक उपलब्ध होगा।

3) इस नीति के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, प्रदेश सरकार की किसी अन्य नीति/योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी। यद्यपि, इस नीति में प्रदत्त समस्त प्रोत्साहन, भारत सरकार की किसी भी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्राप्त किए जा सकते हैं।

4) इस नीति की व्याख्या के लिए किसी भी स्पष्टता की आवश्यकता की स्थिति में, प्राधिकृत समिति (EC) से परामर्श किया जाएगा तथा मा. औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत समिति की संस्तुतियों को अंतिम माना जाएगा।

5) उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) की संस्तुतियों पर मा. मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरांत, कार्यान्वयन के दौरान इस नीति में संशोधन किया जा सकता है। यद्यपि, ऐसे समस्त संशोधन भविष्यलक्षी प्रभाव से (Prospectively)लागू होंगे तथा नीति के अंतर्गत पहले से प्रदत्त किसी भी लाभ अथवा रियायत को कम नहीं करेंगे।

6) तथापि, प्रोत्साहनों की समग्र सीमा एवं अधिकतम स्वीकार्य परियोजनाओं की संख्या में संशोधन से संबंधित नीति में अन्य संशोधन उच्च–स्तरीय

Scanned with CamScanner

प्राधिकृत समिति (HLEC) की संस्तुति एवं मा. मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत ही किए जाएंगे।

7) इस नीति के कार्यान्वयन हेतु, नीति के अंतर्गत वित्तीय एवं गैर–वित्तीय प्रोत्साहनों तथा नीति के अन्य पक्षों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं एवं अन्य औपचारिकताओं को एक पृथक शासनादेश के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देशों के रूप में अधिसूचित विस्तृत दिशानिर्देशों में उल्लिखित किया जाएगा।

****

Scanned with CamScanner